प्रस्तावना

1. हमारा मूलमंत्र 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' है।

2. जी20 के सभी राजनेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ जिसका विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम' था। हमारा शिखर सम्मेलन ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रहा है जहां अभी जो निर्णय होंगे वही निर्णय हमारी समस्त वैश्विक जनता और हमारी पृथ्वी का भविष्य तय करेंगे। हमारे आसपास के परिवेश के साथ सटीक सामंजस्य बनाकर रहने के इसी दर्शन को ध्यान में रखकर हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता वयक्त करते हैं।

3. विश्व की सटीक दिशा तय करने के लिए जी20 के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और आर्थिक स्थायित्व के मार्ग में प्रतिकूल हालात अब भी बने हुए हैं। आपस में जुड़ी तरह-तरह की चुनौतियों और संकटों के लगातार कई वर्षों तक जारी रहने के कारण 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में हासिल हुई प्रगति अब पलट गई है। वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को हो रहे भारी नुकसान, प्रदूषण, सूखा, भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के कारण लोगों के जीवन और आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों सहित अनेक कमोडिटी या वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण जीवनयापन की लागत बढ़ती जा रही है। गरीबी एवं विषमता, जलवायु परिवर्तन, महामारी और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों की वजह से महिलाओं एवं बच्चों और समाज के सबसे कमजोर या असुरक्षित तबकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है।

4. हमारे पास आपस में मिलकर बेहतर भविष्य बनाने का अहम अवसर है। सिर्फ सही ऊर्जा को अपनाने भर से ही नौकरियों एवं लोगों की आजीविका में व्यापक वृद्धि हो सकती है और आर्थिक मजबूती सुनिश्चित की जा सकती है। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी देश को अपने यहां गरीबी से लड़ने और अपनी पृत्वी के लिए लड़ने के बीच चयन नहीं करना होगा। हम ऐसे विकास मॉडल अपनाएंगे जिससे वैश्विक स्तर पर सतत, समावेशी और न्यायसंगत बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि कोई भी इससे वंचित नहीं रहेगा।

5. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख वैश्विक फोरम 'जी20' के राजनेताओं के रूप में हम साझेदारियों के जरिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लेते हैं। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं:

ए. मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाएंगे।

बी. सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के पूर्ण और प्रभावकारी कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे।

सी.एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाते हुए 'कम जीएचजी/कम कार्बन उत्सर्जन', जलवायु-अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास वाले पथ पर चलेंगे। हम विकास और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अपने ठोस उपायों में तत्काल तेजी लाएंगे, 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ)' को बढ़ावा देंगे, और जैव विविधता, जंगलों एवं महासागरों का संरक्षण करेंगे।

डी. भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए विकासशील देशों में चिकित्सा संबंधी उपायों तक लोगों की पहुंच बढ़ाएंगे और अधिक आपूर्ति एवं उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करेंगे।

ई. विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसने से बचाने के लिए तत्काल और प्रभावकारी रूप से तेज विकास को बढ़ावा देंगे।

एफ. एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी स्रोतों से वित्तपोषण बढ़ाएंगे।

जी. तापमान लक्ष्य सहित पेरिस समझौते को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाएंगे और संसाधनों में वृद्धि करेंगे।

एच. विकास संबंधी प्रभाव को अधिकतम करने हेतु वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावकारी बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाएंगे।

आई. सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुंच बढ़ाएंगे, और डिजिटल बदलाव के अवसरों का उपयोग करेंगे।

जे. टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण, स्वस्थ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगारों को बढ़ावा देंगे।

के. महिला-पुरुष अंतर को कम करेंगे और निर्णय लेने वालों के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावकारी और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देंगे।

एल. एलडीसी, एलएलडीसी और एसआईडीएस सहित विकासशील देशों के दृष्टिकोण को जी20 के भावी एजेंडे में बेहतर ढंग से एकीकृत करेंगे और वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करेंगे।

6. आज इन कदमों के माध्यम से हम एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं जो देशों को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए काफी सशक्त बनाएगी, जो मानव-केंद्रित है, और मानवता की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करेगी।

पृथ्वी, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए

7. हम दुनिया भर में युद्धों और संघर्षों या टकराव के कारण अपार मानवीय पीड़ा और प्रतिकूल प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।

8. यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को याद करते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाए गए अपने राष्ट्रीय रुख और प्रस्तावों को दोहराया (ए/आरईएस/ईएस-11/1 और ए/आरईएस/ईएस-11/6), और इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के समस्त उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी देशों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज करके उसके किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए धमकी देने या बल का उपयोग करने से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने या इस्तेमाल करने की धमकी देना अस्वीकार्य है।

9. इस बात की पुष्टि करते हुए कि जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख फोरम है, और यह स्वीकार करते हुए कि वैसे तो जी20 भू-राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का फोरम नहीं है, लेकिन हम यह स्वीकार करते हैं कि इन मुद्दों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल असर हो सकता है।

10. हमने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, वृहद-वित्तीय स्थिरता, महंगाई एवं विकास के संबंध में यूक्रेन में युद्ध के कारण मानवीय पीड़ा और अन्य नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसने विभिन्न देशों, विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए नीतिगत माहौल को जटिल बना दिया है, जो कोविड-19 महामारी और उससे उत्पन्न

आर्थिक व्यवधान से अभी भी उबर रहे हैं और जिसने एसडीजी की दिशा में प्रगति को पटरी से उतार दिया है। इस हालात के बारे में अलग-अलग विचार और आकलन थे।

11. हम विश्व बाजारों में रूसी खाद्य उत्पादों और उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए तुर्किये के प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस्तांबुल समझौतों, जिसमें रूसी संघ एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन शामिल हैं, और इसके साथ ही यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों की सुरक्षित ढुलाई पर पहल (काला सागर पहल) की सराहना करते हैं, और हम रूसी संघ एवं यूक्रेन से अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों/कच्चे माल की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए समय पर उनके पूर्ण और प्रभावकारी कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं। विकासशील देशों और विशेषकर अफ़्रीका के अल्प विकसित देशों की मांग को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।

12. इस संदर्भ में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए हम संबंधित अवसंरचना पर सैन्य हमलों या अन्य हमलों को रोकने का आह्वान करते हैं। हमने नागरिकों की सुरक्षा पर युद्धों के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की जिस वजह से मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परेशानियां और मुश्किलें बढ़ जाती हैं और प्रभावकारी रूप से मानवीय राहत पहुंचाने में बाधा उत्पन्न होती है।

13. हम सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, और शांति एवं स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को निरंतर बनाए रखने का आह्वान करते हैं। युद्धों का शांतिपूर्ण समाधान, और संकटों के समाधान के लिए प्रयास करने के साथ-साथ कूटनीति और वार्तालाप भी अत्यंत आवश्यक हैं। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के अपने प्रयास में एकजुट होंगे और हम उन सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत करेंगे जो यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और सतत शांति सुनिश्चित करेंगी, जिससे 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' की भावना के तहत राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखा जा सकेगा।

14. आज का दौर निश्चित रूप से युद्ध का नहीं होना चाहिए।

<u>ए. मजबूत, सतत, संतुलित, और समावेशी विकास</u>

वैश्विक आर्थिक हालात

15. आपस में जुड़े अनेक संकटों के कारण दीर्घकालिक विकास की राह में कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। असमान आर्थिक रिकवरी से जूझते हुए दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम सुव्यवस्थित वृहद आर्थिक और ढांचागत नीतियों को लागू करेंगे। हम समान विकास को बढ़ावा देकर और वृहद आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर कमजोर लोगों की रक्षा करेंगे। इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से जीवनयापन की बढ़ती लागत के संकट को हल करने और मजबूत, सतत, संतुलित एवं समावेशी विकास को उन्मुक्त करने में काफी मदद मिलेगी।

16. वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास दर अपने दीर्घकालिक औसत से कम है और अब भी असमान बनी हुई है। आने वाले समय में विकास की संभावनाओं को लेकर अनिश्चितता अब भी काफी अधिक है। वैश्विक स्तर पर वित्तीय नियम-कायदों को काफी सख्त कर देने, जिससे कर्ज जाल की चपेट में आने की संभावना, और महंगाई एवं भू-आर्थिक तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, की वजह से आर्थिक विकास की गति अभी धीमी ही रहने का जोखिम है। अत: हम आर्थिक विकास की गति तेज करने, असमानताओं को कम करने और वृहद आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सुव्यवस्थित मौद्रिक, राजकोषीय, वित्तीय, और ढांचागत नीतियों की आवश्यकता को दोहराते हैं। हम वृहद नीतिगत सहयोग को बढ़ाना जारी रखेंगे और 'सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' की दिशा में हो रही प्रगति में आवश्यक सहयोग देंगे। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास (एसएसबीआईजी) हासिल करने के लिए नीति निर्माताओं को अपने नीतिगत उपायों में अत्यंत सक्रिय और लचीला बने रहने की आवश्यकता होगी, जैसा कि कुछ विकसित देशों में हाल ही में बैंकिंग उथल-पुथल के दौरान देखा गया था जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कदम उठाने से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में काफी मदद मिली। हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), मानक निर्धारण निकायों (एसएसबी) और कुछ क्षेत्राधिकारों द्वारा उठाए गए शुरुआती कदमों का स्वागत करते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि इस हालिया बैंकिंग उथल-पुथल से क्या सबक सीखा जा सकता है और इसके साथ ही उन्हें अपने इन कदमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम विकास की गति धीमी पड़ने के जोखिमों से बचाव करने के लिए, जहां आवश्यक हो, वृहद विवेकपूर्ण नीतियों का उपयोग करेंगे। विभिन्न केंद्रीय बैंक अपने-अपने अधिदेश या जिम्मेदारी के अनुरूप मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए काफी दृढ़ता के साथ

प्रतिबद्ध हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि महंगाई संबंधी अनुमान एक दायरे में ही बने रहें और सीमा पार प्रतिकूल असर को सीमित रखने में मदद करने के लिए अपने नीतिगत रुख को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करेंगे। नीतिगत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंकों की आजादी अत्यंत आवश्यक है। हम मध्यमकालिक राजकोषीय स्थिरता को बनाए रखते हुए गरीबों और सबसे कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए अस्थायी और लक्षित राजकोषीय उपायों को प्राथमिकता देंगे। मौद्रिक और राजकोषीय रुख में समग्र रूप से सामंजस्य सुनिश्चित करना अब भी अत्यंत आवश्यक है। हम आपूर्ति बढ़ाने संबंधी नीतियों, विशेष रूप से ऐसी नीतियों, जो श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ाती हैं और इसके साथ ही उत्पादकता बढ़ाती हैं, के विशेष महत्व को स्वीकार करते हैं, ताकि विकास की गति तेज हो सके और मूल्य दबाव कम हो सके। हम अपने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा अप्रैल 2021 में की गई विनिमय दर संबंधी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

17. हम विकास की गति तेज करने और सतत रूप से आर्थिक बदलाव लाने में निजी उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। इसके लिए हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं, ताकि:

i. समावेशी, सतत और मजबूत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं सृजित की जा सकें, और विकासशील देशों को मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ने में सहायता कर सकें।

ii. सतत व्यवसाय मॉडल की दिशा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित निवेश को सुनिश्चित कर सकें।

iii. निवेश जुटाने के लिए एमडीबी की विशेषज्ञता का उपयोग करके विकासशील देशों में निवेश योग्य परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार कर सकें।

iv. कारोबार करने में सुगमता को बढ़ा सकें और इसमें आने वाली लागत को कम कर सकें।

18. हम यह मानते हैं कि स्टार्ट-अप और एमएसएमई आर्थिक विकास के स्वाभाविक इंजन हैं। वे नवाचार को बढ़ावा देकर और रोजगार सृजित करके सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की कुंजी हैं। हम भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान 'स्टार्ट-अप 20 सहभागिता समूह' का गठन करने और इसके जारी रहने का स्वागत करते हैं।

विकास के लिए व्यापार को उन्मुक्त करना

19. हम फिर से इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, खुली, समावेशी, न्यायसंगत, सतत और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, जिसके केंद्र में डब्ल्यूटीओ है, अपरिहार्य है। हम उन नीतियों का समर्थन करेंगे जो व्यापार और निवेश को संभव करती हैं, ताकि वे सभी लोगों के लिए विकास और समृद्धि का इंजन साबित हो सकें। आज हम:

i. सभी के लिए अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवाद और बाजार को विकृत करने वाली प्रथाओं या तौर-तरीकों को हतोत्साहित करके समान अवसर और उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से व्यक्त करते हैं। हम एक समावेशी सदस्य-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से डब्ल्यूटीओ के सभी कार्यों को बेहतर करने के लिए डब्ल्यूटीओ में सुधार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को दोहराते हैं, और हम वर्ष 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूरी तरह से सुव्यवस्थित विवाद निपटान प्रणाली को सुनिश्चित करने की दृष्टि से चर्चाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम डब्ल्यूटीओ के तेरहवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ii. यह स्वीकार करते हैं कि कि विशेष रूप से विकासशील देशों में एमएसएमई को आवश्यक सूचनाएं मिलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अत: हम एमएसएमई तक सूचनाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु 'कार्रवाई के लिए जयपुर आह्वान' का स्वागत करते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमएसएमई के एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

iii. 'वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के मानचित्रण के लिए जी20 जेनेरिक फ्रेमवर्क' को अपनाने का स्वागत करते हैं, ताकि सदस्यों को जोखिमों की पहचान करने और मजबूत होने में मदद मिल सके।

iv. व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्चस्तरीय सिद्धांतों का स्वागत करते हैं और हम इन पर अमल को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेंगे, और अन्य देशों को इन सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

v. यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार और पर्यावरण नीतियां परस्पर सहायक होनी चाहिए, और डब्ल्यूटीओ एवं बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप होनी चाहिए।

vi. डब्ल्यूटीओ की 'व्यापार के लिए सहायता' पहल के महत्व को स्वीकार करते हैं, ताकि विकासशील देशों, विशेष रूप से एलडीसी को वैश्विक व्यापार में प्रभावकारी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके, जिसमें स्थानीय मूल्य के ज्यादा सृजन के जरिए इन्हें सक्षम बनाना भी शामिल है। इस संबंध में आवश्यक संसाधन जुटाने के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं।

भविष्य के कार्यों के लिए तैयार करना

20. हम कौशल में अंतर को समाप्त करने, अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने और सभी के लिए समावेशी सामाजिक संरक्षण नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम i. यह स्वीकार करते हैं कि अच्छी तरह से एकीकृत और पर्याप्त रूप से कुशल कामगार दरअसल मूल और गंतव्य देशों को समान रूप से लाभान्वित करते हैं और इसके साथ ही हम अच्छी तरह से प्रबंधित, नियमित और कौशल-आधारित प्रवासन मार्गों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ii. वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर को मापने के प्रयासों और वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर को समाप्त करने के लिए जी20 की नीतिगत प्राथमिकताएं तय करने का स्वागत करते हैं जिनमें हमारे राष्ट्रीय सांख्यिकीय डेटा को और मजबूत करना भी शामिल है, अत: नौकरियों के डेटाबेस के लिए आईएलओ और ओईसीडी कौशल की कवरेज जी20 देशों तक, जैसा उपयुक्त हो, भी संभव है। हम सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए वैश्विक कौशल को प्रभावकारी ढंग से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

iii. कौशल और योग्यता आवश्यकताओं के आधार पर व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के विकास पर विचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि अंतर-देशीय तुलनीयता के साथ-साथ कौशल और योग्यता को पारस्परिक मान्यता देना संभव हो सके।

iv. डिजिटल कौशल बढ़ाने और पुनर्कौशल कार्यक्रमों को तैयार करने और शुरू करने के लिए अनुकूल रूपरेखा वाली व्यापक टूलकिट का स्वागत करते हैं।

v. हमने सतत रूप से वित्तपोषित सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण कवरेज प्राप्त करने और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी पर विचार करने का लक्ष्य रखा है।

vi. 'उचित बदलाव के लिए नौकरियों और सामाजिक संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक त्वरक' के कार्यान्वयन की दिशा में हुई प्रगति का समर्थन करते हैं।

vii. समावेशी विकास, सतत विकास और सम्मानीय कार्य का समर्थन करने के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र के आर्थिक महत्व और सामाजिक मूल्य को स्वीकार करते हैं।

viii. गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और सम्मानीय कामकाजी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करेंगे।

ix. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ बाल श्रम और जबरन श्रम के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे।

वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाना

21. हम जी20 धनप्रेषण लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति पर नेताओं के 2023 अपडेट का स्वागत करते हैं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उन्नत डिजिटल वित्तीय समावेश के लिए नियामक टूलकिट का समर्थन करते हैं। हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय समावेश और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी जी20 की नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करते हैं। हम समावेशी विकास और सतत विकास के समर्थन में वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद करने के क्रम में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। हम अंतिम छोर तक वित्तीय समावेश को हासिल करने और धनप्रेषण की लागत को कम करने की दिशा में प्रगति के लिए नवीन भुगतान प्रणालियों सहित तकनीकी नवाचारों के निरंतर विकास और जिम्मेदार उपयोग को भी प्रोत्साहित करते हैं। हम डिजिटल वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। हम जी20 2023 वित्तीय समावेश कार्य योजना (एफआईएपी) का समर्थन करते हैं, जो जी20 देशों और अन्य देशों के व्यक्तियों और एमएसएमई, विशेष रूप से कमजोर और वंचित समूहों के वित्तीय समावेश में तेजी लाने के लिए एक कार्य-उन्मुख और भविष्य-उन्मुख रोडमैप प्रदान करता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

22. हम भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

i. हम निम्न पर तीन जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का समर्थन करते हैं:

- भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए कानून प्रवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचनाओं को साझा करने की व्यवस्था को मजबूत करना
- भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए परिसंपत्ति वसूली व्यवस्था को मजबूत करना
- भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक निकायों और प्राधिकरणों की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना

ii. हम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) को समर्थन और जीएलओबीई नेटवर्क के संचालन सहित अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू कानूनी व्यवस्था के अनुरूप आपराधिक आय को जब्त करने तथा इसे पीड़ितों और देशों को वापस करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं।

iii. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) के अनुच्छेद 16 के अनुरूप, विदेशी रिश्वत को अपराध घोषित करने और विदेशी रिश्वत रोधी कानून को लागू करने की दिशा में ठोस प्रयासों को प्रदर्शित करने और जारी रखने तथा अपनी कार्रवाई पर जानकारी साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं एवं इस लक्ष्य के प्रति भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम उचित रूप से ओईसीडी रिश्वत रोधी सम्मेलन में भागीदारी बढ़ाने के प्रति आशान्वित हैं।

बी. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति में तेजी लाना

23. 2030 के मध्य में, एसडीजी पर वैश्विक प्रगति की गति धीमी है और लक्ष्य का केवल 12 प्रतिशत ही सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्य पूरा करने के इस दशक के दौरान, हम 2030 एजेंडा को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जी20 की आयोजन शक्ति और इसके सामूहिक संकल्प का लाभ उठाएंगे और समयबद्ध तरीके से एसडीजी की दिशा में प्रगति में तेजी लाएंगे, ताकि उस दुनिया को आकार दिया जा सके, जिसे हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए देखना चाहते हैं।

एसडीजी हासिल करने के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना

24. एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के लिए, हम इसके उच्च-स्तरीय सिद्धांतों सहित जी20 2023 कार्य योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन की दिशा में सामूहिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे न छूट जाए।

हम 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय अध्यक्षता के प्रयासों की सराहना करते हैं। इस कार्य के लिए, हम:

i. डिजिटल परिवर्तन, एआई, डेटा प्रगति की भूमिका और डिजिटल अंतर के समाधान की आवश्यकता को समझते हैं। हम विकास के लिए डेटा के उपयोग (डी4डी) पर जी20 सिद्धांतों का अनुमोदन करते हैं और विकास क्षमता निर्माण पहल के लिए डेटा और अन्य मौजूदा पहलों को लॉन्च करने के निर्णय का स्वागत करते हैं।

ii. हम 2030 एजेंडा और अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के प्रति विकासशील देशों को उनके घरेलू प्रयासों में समर्थन देने के लिए सभी स्रोतों से किफायती, पर्याप्त और सुलभ वित्तपोषण जुटाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम विकसित देशों से अपनी संबंधित ओडीए प्रतिबद्धताओं को सम्पूर्ण रूप से पूरा करने का आह्वान करते हैं, जो सार्वजनिक और निजी, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सहित अन्य सभी स्रोतों से विकास वित्तपोषण को सहायता प्रदान करता है और प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा विकासशील देशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देता है।

iii. सतत सामाजिक-आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के साधन के रूप में पर्यटन और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं और एसडीजी प्राप्त करने के उपायों में से एक के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप का उल्लेख करते हैं।

iv. 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में जी20 सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के चल रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं, जिनमें एसडीजी प्रोत्साहन के माध्यम से एसडीजी वित्तपोषण अंतर के समाधान के लिए महासचिव के प्रयास भी शामिल हैं और हम संयुक्त राष्ट्र 2023 एसडीजी शिखर सम्मेलन, भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और अन्य प्रासंगिक प्रक्रियाओं को पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं।

25. हम स्थायी वित्त को बढ़ाने के लिए कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। जी20 सतत वित्त रोडमैप के अनुरूप, हम देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए, स्थितियों का जायजा लेने वाले विश्लेषणों के अनुसार, सामाजिक प्रभाव निवेश उपकरणों को अपनाने और प्रकृति-संबंधी डेटा और रिपोर्टिंग में सुधार के लिए एसडीजी-अनुरूप वित्त और स्वैच्छिक सिफारिशों के लिए विश्लेषणात्मक व्यवस्था का स्वागत करते हैं।

भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना

26. हम खाद्य सुरक्षा और पोषण पर जी20 डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांत 2023 के अनुरूप सभी के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे हासिल करने के लिए, हम:

i. हम बाजरा, क्विनोआ, ज्वार जैसे जलवायु-सहनीय और पौष्टिक अनाज तथा चावल, गेहूं और मक्का सहित अन्य पारंपरिक फसलों पर अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। हम कृषि मुख्य वैज्ञानिकों (एमएसीएस) की 12वीं जी20 बैठक में जी20 सदस्यों की भागीदारी के परिणामों का स्वागत करते हैं।
ii. हम स्थानीय उर्वरक उत्पादन को मजबूत करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार सहित उर्वरक और कृषि आदानों की पहुंच, उपलब्धता और कुशल उपयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हैं।
iii. हम अधिक स्थायी और जलवायु-सहनीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य श्रृंखला में खाद्य नुकसान और बर्बादी को कम करने तथा विपणन और भंडारण में सुधार पर केंद्रित नवाचारों और निवेश में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
iv. हम विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों और क्षमताओं का समर्थन करने; किफायती, सुरक्षित, पौष्टिक और स्वस्थ आहार तक पहुंच को सक्षम करने तथा पर्याप्त भोजन के अधिकार की प्रगतिशील प्राप्ति को बढ़ावा देने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
v. प्रासंगिक डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुसार, खुले, निष्पक्ष, पूर्वानुमानित और नियम-आधारित कृषि, खाद्य और उर्वरक व्यापार को सुविधाजनक बनाने; निर्यात निषेध या प्रतिबंध नहीं लगाने और बाजार विकृतियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
vi. खाद्य मूल्य में अस्थिरता से बचने के लिए अधिक पारदर्शिता, उर्वरकों पर कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) के काम का समर्थन करने, वनस्पति तेलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने और पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) और वैश्विक कृषि निगरानी पर पृथ्वी पर्यवेक्षण समूह (जीईओजीएलएएम) को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव

27. हालांकि, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से कम हो गई हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं को देखते हुए, खाद्य और ऊर्जा बाजारों में

उच्च स्तर की अस्थिरता की संभावना बनी हुई है। इस संदर्भ में, हम खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभावों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव पर जी20 रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं। हम खाद्य असुरक्षा के खिलाफ आईएफएडी की लड़ाई का समर्थन करने के लिए आईएफएडी सदस्यों द्वारा वर्ष के अंत में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) संसाधनों की एक महत्वाकांक्षी पुनःपूर्ति की आशा करते हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करना और वन हेल्थ दृष्टिकोण लागू करना

28. हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को केंद्र-बिंदु में रखते हुए वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए अधिक सहनशील, न्यायसंगत, स्थायी और समावेशी स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करने, वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने, महामारी संबंधी तैयारियों को बढ़ाने और मौजूदा संक्रामक रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, हम:

i. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों को अगले 2-3 वर्षों के भीतर महामारी-पूर्व स्तरों से बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही पोलियो उन्मूलन और एड्स, तपेदिक, मलेरिया, हेपेटाइटिस और जल-जनित और अन्य संचारी रोग सहित जारी महामारी को समाप्त करने तथा कोविड के लंबे समय तक होने वाले प्रभाव पर शोध के महत्व की भी पहचान करने की दिशा में प्रगति करना जारी रखेंगे।
ii. चतुष्पक्षीय स्वास्थ्य संयुक्त कार्य योजना (2022-2026) द्वारा संचालित वन हेल्थ आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे।
iii. स्वास्थ्य प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ाएंगे और एमडीबी के सहयोग से जलवायु-सहनीय और कम-कार्बन उत्सर्जन वाली स्वास्थ्य प्रणालियों के विकास का समर्थन करेंगे तथा जलवायु और स्वास्थ्य पर परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व वाले गठबंधन (एटीएसीएच) के कार्यों का समर्थन करेंगे।
iv. वन हेल्थ दृष्टिकोण का पालन करते हुए रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने के प्रयास को लागू करेंगे और इसे प्राथमिकता देंगे, जिसमें अनुसंधान और विकास, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के साथ-साथ एएमआर और रोगाणुरोधी खपत निगरानी के माध्यम से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के भीतर रोगाणुरोधी प्रबंधन प्रयास शामिल हैं।

v. विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी), एलडीसी और एसआईडीएस में सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्ता-विश्वसनीय और किफायती टीकों, चिकित्सीय, निदान और अन्य चिकित्सा उपायों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे।

vi. मई 2024 तक महामारी पीपीआर (डब्ल्यूएचओ सीए+) पर एक महत्वाकांक्षी, कानूनी रूप से बाध्यकारी डब्ल्यूएचओ सम्मेलन, समझौते या अन्य अंतरराष्ट्रीय उपायों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (2005) के बेहतर कार्यान्वयन में संशोधनों के लिए अंतर सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी) में चल रही बातचीत के सफल परिणाम के प्रति आशान्वित हैं।

vii. स्वास्थ्य में साक्ष्य-आधारित पारंपरिक और पूरक चिकित्सा की संभावित भूमिका की पहचान करेंगे और इस दिशा में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक और सहयोगी केंद्रों और नैदानिक परीक्षण पंजीकरणों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों पर ध्यान देंगे।

viii. नेटवर्क दृष्टिकोण के नेटवर्क पर विचार करते हुए, स्थानीय और क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठाते हुए और अंतिम व्यक्ति तक अदायगी सुविधा व्यवस्था को मजबूत करते हुए; एलएमआईसी और अन्य विकासशील देशों की प्रभावी भागीदारी के साथ एक अंतरिम चिकित्सा प्रति-उपाय समन्वय व्यवस्था के विकास के लिए डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व वाली समावेशी परामर्श प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। इसे डब्ल्यूएचओ सीए+ के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।

ix. समावेशी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और मनोसामाजिक सहायता तक पहुंच को बढ़ावा देंगे और इनमें सुधार करेंगे।

x. विश्व नशीली दवा (ड्रग्स) समस्या के सार्वजनिक स्वास्थ्य आयाम पर प्रकाश डालते हुए, हम अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त, मजबूत अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ रोधी सहयोग का आह्वान करेंगे, जिनमें उत्पादन को बाधित करने के लिए के लिए जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण करने और सिंथेटिक दवाओं सहित अवैध दवाओं के 10 जीरो ड्राफ्ट प्रसार एवं शुरुआती रसायन को अपने मूल स्थान पर, पारगमन में और गंतव्य बिंदु पर बाधित करेंगे।

वित्त-स्वास्थ्य सहयोग

29. हम संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल (जेएफएचटीएफ) के तहत वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से महामारी की रोकथाम, महामारी रोधी तैयारी और जवाबी कार्रवाई (पीपीआर) के प्रति वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेएफएचटीएफ के तहत, हम टास्क फोर्स की बैठकों में आमंत्रित प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों की भागीदारी का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे कम आय वाले देशों की बात को

सामने रखते हैं। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), विश्व बैंक, आईएमएफ और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) के बीच सहयोग के माध्यम से तैयार की गयी आर्थिक कमजोरी और जोखिम (एफईवीआर) रूपरेखा और महामारी से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कमजोरियों और जोखिमों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा का स्वागत करते हैं। हम टास्क फोर्स से आह्वान करते हैं कि वह देश-विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उभरती महामारी के खतरों के कारण आर्थिक कमजोरियों और जोखिमों का नियमित रूप से आकलन करने के लिए अपनी बहु-वर्षीय कार्य योजना में इस रूपरेखा को बेहतर बनाना जारी रखे। हम कोविड-19 के दौरान वित्त स्वास्थ्य संस्थागत व्यवस्थाओं के सर्वोत्तम तौर-तरीकों पर रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, जो भविष्य की महामारियों के प्रति हमारी जबावी कार्रवाई का समर्थन करने के लिए संयुक्त वित्त-स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी में योगदान देगी। हम डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक द्वारा विकसित महामारी जबावी कार्रवाई वित्तपोषण विकल्पों और अंतरों के मानचित्रण पर रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और इस बात पर आगे विचार-विमर्श करने के प्रति तत्पर हैं कि वित्तपोषण व्यवस्था का कैसे अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, बेहतर तरीके से समन्वय किया जा सकता है और, जब जरूरी हो, आवश्यक वित्तपोषण को जल्दी और कुशलता से तैनात करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए अन्य वैश्विक मंचों पर हुई चर्चा पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। हम महामारी कोष द्वारा प्रस्तावों के लिए पहले बुलावे के निष्कर्ष का स्वागत करते हैं और प्रस्तावों के लिए पहले बुलावे से सीखे गए अनुभव के आधार पर, 2023 के अंत तक प्रस्तावों के लिए दूसरे बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम नए दाताओं और सह-निवेश को सुरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। हम टास्क फोर्स से 2024 में वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों को इसकी प्रगति पर रिपोर्ट देने का आग्रह करते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

30. हम कमजोर परिस्थितियों वाले लोगों सहित सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मानव पूंजी विकास को समर्थन देने में निवेश के महत्व को समझते हैं। इस प्रयोजन के लिए, हम:

i. शिक्षा और रोजगार के लिए प्राथमिक निर्माण प्रक्रिया के रूप में मूलभूत शिक्षा (साक्षरता, संख्यात्मक योग्यता और सामाजिक भावनात्मक कौशल) के महत्व को समझते हैं।

ii. सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल अंतर को दूर करने के सन्दर्भ में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

iii. एआई सहित उभरते रुझानों और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों को समर्थन प्रदान करते हैं।

iv. उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) तक पहुंच का विस्तार करने पर जोर देते हैं।

v. खुले, न्यायसंगत और सुरक्षित वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के आवागमन को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

vi. विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए कौशल, पुनः कौशल से लैस करने और कौशल के उन्नयन पर केन्द्रित जीवनपर्यंत सीखने को संभव बनाने के महत्व पर जोर देते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों)एसडीजी(के परिवर्तनकारी वाहक के रूप में संस्कृति

31. हम परिवर्तन के एक वाहक और सतत विकास लक्ष्यों)एसडीजी को हासिल करने के (एक सामर्थ्यकारी कारक के रूप में संस्कृति को उसके अंतर्निहित मूल्यों के साथ पूर्ण मान्यता देने एवं उसके संरक्षण का आह्वान करते हैं और 2030 के संभावित विकास एजेंडे के रुप में होने वाली भविष्य की चर्चाओं में एकल लक्ष्य के रूप में संस्कृति को शामिल करने की बात को आगे बढ़ाते हैं। हम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि मूल देशों और समुदायों जैसा भी ,प्रासंगिक हो, में इन संपत्तियों की वापसी और बहाली को संभव बनाया जा सके और उस प्रयास में राष्ट्रीय कानून एवं प्रासंगिक यूनेस्को संधियों के अनुरूप सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर-सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने-के दृष्टिकोण के साथ निरंतर बातचीत और कार्रवाई का आह्वान करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बौद्धिक संपदा सहित जीवंत सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, विशेष रूप से ऐसी जीवंत विरासत के अत्यधिक व्यावसायीकरण एवं दुरुपयोग का इनके स्थायित्व और इनसे जुड़े कलाकारों व समुदाय के धारकों के साथसाथ - आजीविका पर स्वदेशी लोगों कीपड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में।

<u>सी. एक टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास समझौता</u>

32. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की समृद्धि व कल्याण हमारे वर्तमान विकास और अन्य नीतिगत विकल्पों एवं कार्यों पर निर्भर करती है, हम समन्वित, समग्र और संतुलित तरीके से पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ एवं समावेशी आर्थिक विकास व प्रगति को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।

33. हम जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न पर्यावरणीय संकटों और चुनौतियों से निपटने के अपने कार्यों में तत्काल तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दुनिया भर में, विशेष रूप से एलडीसी और एसआईडीएस सहित सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा अनुभव किया जा रहा है। अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को ध्यान में रखकर, हम समानता और साझा लेकिन वर्गीकृत जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को दर्शाते हुए पेरिस समझौते और उसके तापमान संबंधी लक्ष्यों के पूर्ण एवं प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करके जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में विविध राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में अपनी दृढ़ प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हैं। हम चिंता के साथ इस तथ्य को दर्ज करते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने से जुड़ी वैश्विक महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्यों, जिसमें वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक से नीचे रखने और तापमान वृद्धि को औद्योगिकीकरण के पूर्व के स्तर से डिग्री सेल्सियस 1.5 अधिक तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात शामिल है ,को हासिल करने की दृष्टि से अपर्याप्त है। हम सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, पेरिस समझौते के सभी स्तंभों पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की तुलना में डिग्री सेल्सियस 1.5की वृद्धि से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होने संबंधी आईपीसीसी के आकलन को ध्यान में रखते हुए, हम तापमान वृद्धि को डिग्री 1.5 सेल्सियस तक सीमितरखने के लिए आगे के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्पों को दोहराते हैं। इसके लिए ,विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए ,सभी देशों की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के लक्ष्यों के अनुरूप ढालने वाले स्पष्ट रास्ते विकसित करने के जरिए और वित्त एवं प्रौद्योगिकी सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग व समर्थन के साथ तथा सतत विकास के संदर्भ में टिकाऊ एवं जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रवर्तकों के रूप में सार्थक एवं प्रभावी कार्यों और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। हम मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5डिग्री सेल्सियस

तक सीमित रखने के लिए तक वैश् 2030 के स्तर के सापेक्ष 2019विक जीएचजी उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की तीव्र, गहरी और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। हम वैश्विक मॉडल मार्गों एवं मान्यताओं पर आधारित आईपीसीसी एआर सिंथेसिस रिपोर्ट 6के निष्कर्षों पर भी ध्यान देते हैं, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन"के से पहले 2025 और 2020 के दौरान उन वैश्विक मॉडल मार्गों ,जो बिना या सीमित अतिक्रमण के साथ वार्मिंग को 1.5 डिग्रीसेल्सियस तक सीमित करते हैं और उन मार्गों ,जो वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करते हैं तथा तत्काल कार्रवाई चाहते हैं ,में चरम पर पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय सीमा के भीतर सभी देशों में तापमान चरम पर पहुंच जाएगा। चरम पर पहुंचने की समयसीमा सतत विकास-, गरीबी उन्मूलन संबंधी आवश्यकताओं, समानता और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप तय हो सकती है। हम यह भी मानते हैं कि इस संबंध में स्वैच्छिक एवं पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर प्रौद्योगिकी विकास व हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और वित्तपोषण विभिन्न देशों की सहायता कर सकते हैं।

34. हम उन सभी देशों, जिन्होंने अभी तक अपने एनडीसी को पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्यों के अनुरूप नहीं बनाया है, से अपने एनडीसी में 2030के लक्ष्यों को फिर से निर्धारित व मजबूत करने का आग्रह करते हैं क्योंकि विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2023के अंत तक ऐसा करना आवश्यक है और हम उन देशों का स्वागत करते हैं जिन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है। हम एनडीसी की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रकृति और पेरिस समझौते के अनुच्छेद को याद करते हैं 4.4, जिसमें यह प्रावधान है कि ”विकसित देशों को अर्थव्यवस्था के अनुरूप उत्सर्जन में पूर्ण कटौती के लक्ष्य को हासिल करके आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए। विकासशील देशों को उत्सर्जन में कमी लाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहिए और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में अर्थव्यवस्था के अनुरूप उत्सर्जन में कमी लाने या सीमित रखने के लक्ष्य की दिशा में समय के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। “इस संदर्भ में, हम उन देशों की सराहना करते हैं जिनके एनडीसी में सभी जीएचजी को कवर करते हुए अर्थव्यवस्था के अनुरूप लक्ष्य शामिल हैं और अन्य देशों को विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में अपने आगामी एनडीसी चक्र में अर्थव्यवस्था के अनुरूप ऐसे लक्ष्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम दुबई में कॉपमें पहले वैश्विक स्टॉकटेक के सफल समापन 28 में योगदान देंगे, जो उत्सर्जन घटाने, अनुकूलन और कार्यान्वयन एवं सहयोग के साधनों के

मामले में उन्नत जलवायु कार्रवाई को प्रेरित करेगा। हम नवीनतम वैज्ञानिक विकासों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक ,तकनीकी एवं बाजार के विकास और सबसे प्रभावी समाधानों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास वैश्विक शुद्ध शून्य जीएचजी उत्सर्जन कार्बन/निरपेक्षता का लक्ष्य हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

जलवायु परिवर्तन और बदलाव से संबंधित उत्पन्न होने वाले व्यापक आर्थिक जोखिम

35. जलवायु परिवर्तन के भौतिक प्रभावों की व्यापक आर्थिक कीमत समग्र और देश दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है और निष्क्रियता की कीमत व्यवस्थित एवं उपयुक्त परिवर्तनों से काफी अधिक है। हम वित्त एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र और देशवि-शेष की परिस्थितियों के अनुरूप सामयिक नीतिगत कार्रवाई सहित अंतरराष्ट्रीय संवाद एवं सहयोग के महत्व को मान्यता देते हैं। विकास, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी पर जलवायु परिवर्तन व परिवर्तनकारी नीतियों के भौतिक प्रभाव और लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन करना और उसका लेखाजोखा- देना भी महत्वपूर्ण है। हम जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनकारी मार्गों से उत्पन्न होने वाले व्यापक आर्थिक जोखिमों के संबंध में जीरिपोर्ट का समर्थन करते हैं। 20 इस रिपोर्टमें किए गए विश्लेषण के आधार पर, हम विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखकर ,जैसा उचित होगा और विशेष रूप से राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों के लिए प्रासंगिक होगा, व्यापक आर्थिक निहितार्थों पर आगे काम करने पर विचार करेंगे।

सतत विकास के लिए जीवनशैली को मुख्यधारा में लाना (लाइफ)

36. सतत विकास के लिए जीवन शैली से संबंधित जी 20के उच्चस्तरीय सिद्धांतों के आधार - पर, हम उन मजबूत सामूहिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं जो दुनिया को सतत विकास के लिए टिकाऊ उत्पादन और उपभोग पैटर्न और मुख्यधारा की जीवन शैली को अपनाने में सक्षम बनाएगा। इस पर प्रासंगिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह ग्लोबल नेट जीरो पर आधारित भविष्य के लिए 2030तक उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती में योगदान दे सकता है। हम जलवायु कार्रवाई के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम नीतिगत वातावरण के निर्माण का समर्थन करते हैं। इस दिशा में, हम:

.i सतत विकास के लिए जीवन शैली से संबंधित जीस्तरीय सिद्धांतों को लागू -के उच्च 20 करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं।

.iiअंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के विकास, तैनाती एवं प्रसार के माध्यम से उच्चएचएलप) स्तरीय सिद्धांतों-ीके कार्यान्वयन का समर्थन कर (ते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने कार्यक्रमों में, जैसा उपयुक्त हो, एचएलपी को शामिल करें।

" .iiiलाइफ के लिए यात्रा" के शुभारंभ को दर्ज करते हैं और ऐसे स्मार्ट गंतव्य के विकास का समर्थन करते हैं जो जिम्मेदार और टिकाऊ हों।

एक सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित दुनिया की रूपरेखा की तैयारी

37. हमारे आर्थिक विकास को पर्यावरणीय क्षरण से अलग करने और आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए प्राथमिक संसाधन उपभोग सहित टिकाऊ उपभोग एवं उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास हेतु, हम सतत विकास हासिल करने में सर्कुलर इकोनॉमी, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और संसाधन दक्षता द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। हम संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन (आरईसीईआईसी)का शुभारंभ करने के लिए भारत की अध्यक्षता को धन्यवाद देते हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने, तक अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करने और शून्य 2030 अपशिष्ट पहल के महत्वको रेखांकित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती एवं समावेशी ऊर्जा परिवर्तन का कार्यान्वन

38. हम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को संभव बनाने और अपने जलवायु संबंधी उद्देश्यों को हासिल करने के साधन के रूप में, विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती एवं समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम विकासशील देशों की जरूरतों, कमजोरियों, प्राथमिकताओं और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को पहचानते हैं। हम नवाचार, स्वैच्छिक एवं पारस्परिक रूप से सहमत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले वित्तपोषण की सुलभता को बढ़ावा देने हेतु मजबूत अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर समर्थ बनाने वाले वातावरण का समर्थन करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, हम:

.iखुले, प्रतिस्पर्धी, गैर भेदभावपूर्ण और-मुक्त अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को प्रोत्साहित करते हुए ,हमारे सतत विकास एवं जलवायु संबंधी लक्ष्यों के अनुरूप बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने हेतु समावेशी निवेश सहित उन्नत ऊर्जा सुरक्षा एवं बाजार की स्थिरता के मार्ग की

तलाश करके विभिन्न स्रोतों, आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों से ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं।

.iiयह मानते हुए कि विकासशील देशों को कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा/में बदलाव के लिए समर्थन की आवश्यकता है, हम उनके लिए कम लागत वाले वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे।

.iiiस्वैच्छिक एवं पारस्परिक रूप से सहमत सामंजस्यपूर्ण मानकों के साथपारस्परिक साथ-रूप सेमान्यता प्राप्त मानकों की अंतरप्रचालनीय प्रम-ाणन योजनाओं को विकसित करके शून्य एवं कमउत्सर्जन- वाली प्रौद्योगिकियों तथा हाइड्रोजन के अमोनिया जैसे यौगिक से उत्पादित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं उपयोग में तेजी लाने के साथ साथ-इसके लिए पारदर्शी एवं सुदृढ़ वैश्विक बाजारों के विकास का समर्थन करते हैं। इस लक्ष्य को साकार करने हेतु, हम एक स्थायी एवं न्यायसंगत वैश्विक हाइड्रोजन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 'हाइड्रोजन पर जी-उच्च 20स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों' की पुष्टि करते हैं जो सभी देशों को लाभ पहुंचाएगा। हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा संचा (आईएसए)लित ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए अध्यक्षता की पहल को दर्ज करते हैं।

.iv विकासशील देशों के लिए मौजूदा और साथ ही नई तथा उभरती हुए स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने की दिशा में काम करेंगे। हम भारत की अध्यक्षता के तहत तैयार की गई "ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत वाले वित्तपोषण "संबंधी रिपोर्ट और उसके इस अनुमान को दर्ज करते हैं कि दुनिया को प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी के साथ, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है।

.vमौजूदा लक्ष्यों एवं नीतियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ायेंगे व प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही तक राष्ट्रीय 2030 परिस्थितियों के अनुरूप कमीएवं निष्कासन प्रौद्योगिकियों सहित अन्य शून्य एवं कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के संबंध में इसी प्रकार की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करेंगे। हम 'सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच में तेजी लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक कार्य योजना' को भी दर्ज करते हैं।

.viस्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों को विकसित करने, प्रदर्शित करने और तैनात करने तथा नवाचार के अन्य प्रयासों के लिए सहयोग संबंधी पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।

.viiसुधार की दर को दोगुना करने संबंधी स्वैच्छिक कार्य योजना ‘ तक ऊर्जा दक्षता 2030’ को दर्ज करते हैं।

.viiiशून्य और कमउत्सर्जन- वाली हमारी विकास रणनीतियों में टिकाऊ जैव ईंधन के महत्व को मान्यता देते हैं और एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की आवश्यकता को दर्ज करते हैं।

.ixऊर्जा परिवर्तन के लिए विश्वसनीय, विविधतापूर्ण, टिकाऊ और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करते हैं, जिसमें स्रोत पर लाभकारी महत्वपूर्ण खनिज एवं सामग्री, अर्धचालक और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। हम अध्यक्षता के ”ऊर्जा परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए स्वैच्छिक उच्च “स्तरीय सिद्धांतों-को दर्ज करते हैं।

.xजो देश नागरिक परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनते हैं, वे राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप उन्नत एवं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों सहित नागरिक परमाणु (एसएमआर) प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, नवाचार, विकास एवं तैनाती में स्वैच्छिक और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सहयोग करेंगे। ये देश वैश्विक स्तर पर परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से जिम्मेदार परमाणु डीकमीशनिंग, रेडियोधर्मी अपशिष्ट एवं खर्च किए गए ईंधन के प्रबंधन तथा निवेश जुटाने को बढ़ावा देंगे और ज्ञान एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे।

.xi ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सभी के लिए सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच की सुविधा प्रदान करने में ग्रिड इंटरकनेक्शन, ऊर्जा संबंधी सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय सीमा पार/विद्युत प्रणालियों के एकीकरण की भूमिका को मान्यता देते हैं।

.xiiमध्यम अवधि में अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी, जो बेकार उपभोग को प्रोत्साहित करती है, को समाप्त करने तथा उसे तर्कसंगत बनाने हेतु पिट्सबर्ग में में की गई 2009 प्रतिबद्धता को लागू करने के अपने प्रयासों को बढ़ायेंगे और हम सबसे गरीब एवं सबसे अधिक कमजोर वर्गों के लिए लक्षित सहायता प्रदान करते हुए इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

.xiiiकम उत्सर्जन वाली ऊर्जा प्रणालियों की ओर बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती एवं प्रसार में तेजी लाने तथा संबंधित नीतियों को अपनाने के महत्व को मान्यता देते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ ऊर्जा दक्षता-उपायों सहित स्वच्छ विद्युत उत्पादन प्रणाली की तैनाती को तेजी से बढ़ाना और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्बाध कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना तथा न्यायसंगत बदलावों के लिए समर्थन की आवश्यकता को मान्यता देना शामिल है।

जलवायु और सतत वित्त पोषण की प्रदायगी

39. हम विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनकारी गतिविधियों के लिए समर्थन सुनिश्चित करते हुए जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के तंत्र से संबंधित सतत वित्त कार्य समूह एसएफ)डब्ल्यूजीकी सिफारिशों का स्वागत करते हैं। हम (विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), कार्बन निरपेक्षता और शुद्धशून्य- उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुंचने हेतु संतुलित तरीके से अनुकूलन और कमी लाने के प्रयासों को संबोधित करने के लिए मिश्रित वित्तीय उपकरणों, तंत्रों एवं जोखिमसाझाकरण- की सुविधाओं के माध्यम से बेहद आवश्यक निजी वित्त का लाभ उठाने जैसे जलवायु कार्यों के एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में सार्वजनिक वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देते हैं। हम मिश्रित वित्त और जोखिम साझाकरण सुविधाओं को बढ़ाने-से संबंधित एसएफडब्ल्यूजी की सिफारिशों का स्वागत करते हैं, जिसमें जलवायु वित्त जुटाने में एमडीबी की बढ़ी हुई भूमिका भी शामिल है। हम विकासशील देशों के पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए बहुपक्षीय जलवायु निधि जैसे रियायती संसाधनों के प्रभाव को अधिकतम करने के महत्व को रेखांकित करते हैं और इसके आगामी 2027-2024की प्रोग्रामिंग अवधि के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की महत्वाकांक्षी दूसरी पुनःपूर्ति प्रक्रिया का आह्वान करते हैं। हम बहुपक्षीय जलवायु निधियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और निजी पूंजी जुटाने हेतु उनकी सुविधा एवं क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकने, कम करने एवं समाप्त करने और अनुकूलन की सुविधा प्रदान करने वाली प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण का समर्थन करने के महत्व को पहचानते हुए, हम तेजी से विकास, प्रदर्शन और हरित और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए अधिक निजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय समाधानों, नीतियों एवं प्रोत्साहनों से संबंधित सिफारिशों को दर्ज करते हैं। हम राजकोषीय, बाजार और नियामक तंत्रों से युक्त नीतिगत मिश्रण के महत्व

को दोहराते हैं, जिसमें उचित रूप से कार्बन मूल्य निर्धारण और गैरमूल्य निर्धारण तंत्र का - उपयोग और कार्बननिरपेक्षता एवं शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

40. हम बहुवर्षीय जी-20 तकनीकी सहायता कार्य योजना और जलवायु निवेश में (टीएएपी) का समर्थन करते हैं। डेटा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए की गई स्वैच्छिक सिफारिशों हम राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक न्यायालयों और हितधारकों द्वारा टीएएपी के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं। हम जी 20सतत वित्त रोडमैप के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से संबंधी रिपोर्ट के प्रति उत्सुक हैं, जो अपने स्वरूप में स्वैच्छिक एवं लचीली है और इस रोडमैप में अनुशंसित कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने हेतु और अधिक प्रयासों का आह्वान करते हैं जो टिकाऊ वित्त को बढ़ाएंगे, जिसमें अन्य बातों के अलावा परिवर्तनकारी वित्त ढांचे का कार्यान्वयन शामिल हैं। हम 20जी 2023सतत वित्त रिपोर्ट को लेकर उत्सुक हैं। हम जून 2023में अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्थिरता और (आईएसएसबी) संबंधी-जलवायुप्रकटीकरण मानकों को अंतिम रूप देने का स्वागत करते हैं, जो ऐसे तंत्र प्रदान करते हैं जो आनुपातिकता के मुद्दे को हल करते हैं और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देते हैं। उन मानकों के कार्यान्वयन में देश-विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीलापन बरकरार रखा जाना महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त के अनुसार, व्यवहार में लाए जाने पर वे मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय और विश्वसनीय प्रकटीकरण का समर्थन करने में मदद करेंगे।

41. हम पेरिस समझौते के अनुसार अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवर्धित वैश्विक निवेशों की जरूरत और सभी स्रोतों से निवेश और वैश्विक स्तर पर जलवायु वित्त को त्वरित रूप से और बड़े पैमाने पर बिलियन से ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक और पारस्परिक सहमति वाली शर्तों पर वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाते हुए समस्त उपयुक्त वित्तीय प्रवाह को इन उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए, हम:

i. इस बात पर गौर करते हैं कि विकासशील देशों, विशेष रूप से उनके एनडीसी के कार्यान्वयन हेतु उनकी जरूरतों के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.8-5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, साथ ही साथ 2030 तक शुद्ध ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए प्रति

वर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, ताकि 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

ii. हम अर्थपूर्ण शमन कार्रवाई और कार्यान्वयन में पारदर्शिता के संदर्भ में, विकसित देशों द्वारा 2010 में, विकासशील देशों की जरूरते पूरी करने हेतु पहले 2020 तक, बाद में 2025 तक संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जलवायु वित्त जुटाने की गई प्रतिबद्धता को याद करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं। विकसित देश के योगदानकर्ताओं को इस लक्ष्य के पहली बार 2023 में पूरा होने की आशा है।

iii. हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील विकासशील देशों की सहायता के लिए हानि और क्षतिपूर्ति के तहत एक कोष की स्थापना करने सहित वित्त पोषण की व्यवस्था संबंधी सीओपी 27 के निर्णय को सफलतापूर्वक लागू करने की दिशा में काम करेंगे। हम इस संबंध में स्थापित ट्रांजिशनल समिति की सहायता करेंगे और सीओपी 28 में एक कोष सहित नई वित्त पोषण व्यवस्था के संचालन के संबंध में उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करेंगे।

iv. विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यूएनएफसीसीसी के उद्देश्य को पूरा करने और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए पक्षों से 100 बिलियन डालर प्रति वर्ष से, 2024 में जलवायु वित्त के एक महत्वाकांक्षी, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) निर्धारित करने का आह्वान करते हैं।

v. ग्लासगो जलवायु समझौते के अनुच्छेद 18 की याद दिलाते हुए हम विकसित देशों से बढ़े हुए वित्तीय संसाधन हासिल करने के संदर्भ में, अनुकूलन वित्त के उनके सामूहिक प्रावधान 2019 के स्तर से 2025 तक कम से कम दोगुना करने की उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आग्रह करते हैं।

vi. बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) और बहुपक्षीय कोष जैसे सभी उपयुक्त वित्तीय संस्थानों से महत्वाकांक्षी अनुकूलन वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और जहां उचित हो, संशोधित और संवर्धित 2025 के अनुमानों की घोषणा करने सहित अपने प्रयासों को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हैं।

vii.सार्वजनिक जलवायु वित्त में वृद्धि करने में निजी जलवायु वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और विकासशील देशों में परियोजनाओं के लिए मिश्रित वित्त, डी-रिस्किंग इंस्ट्रूमेंट्स और हरित बांड जैसे वित्तपोषण तंत्रों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं ।

पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, रक्षण, सतत उपयोग और पुनर्स्थापन

42. हम जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, मरुस्थलीकरण, सूखा, भूमि क्षरण, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा और पानी की कमी से निपटने में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्व पर जोर देते हैं। हम सभी नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्रों में से कम से कम 30 प्रतिशत को 2030 तक बहाल करने और भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इसे हासिल करने के लिए, हम:

i. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (जीबीएफ) के त्वरित, पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने से संबंधित कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी स्रोतों से वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने का भी आह्वान करते हैं। इस उद्देश्य से, हम हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के अंतर्गत वैश्विक जैव विविधता ढांचा कोष की स्थापना किए जाने का स्वागत करते हैं।

ii. जी-20 वैश्विक भूमि पहल (जीएलआई) के तहत व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर 2040 तक भूमि क्षरण को 50 प्रतिशत तक कम करने की जी-20 की महत्वाकांक्षा का समर्थन करते हैं तथा गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच पर हुई चर्चा पर ध्यान देते हैं ।

iii. स्वीकार करते हैं कि वन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करने के साथ ही साथ जलवायु संबंधी उद्देश्यों के लिए पर्यावरण, जलवायु और लोगों के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत समय-सीमा के अनुरूप वनों के संरक्षण, रक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए तथा वनों की कटाई से निपटने की दिशा में प्रयास बढ़ाएंगे, संधारणीय विकास के लिए और स्थानीय समुदायों और मूल निवासियों की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों के योगदान को रेखांकित करेंगे। वनों के संदर्भ में, हम डब्ल्यूटीओ नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप पक्षपातपूर्ण हरित आर्थिक नीतियों से बचेंगे। हम विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए रियायती और नवोन्मेषी वित्तपोषण सहित सभी स्रोतों से वनों के

लिए नए और अतिरिक्त वित्त पोषण जुटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जंगल की आग की रोकथाम और शमन तथा खनन-के कारण होने वाले भूमि क्षरण के उपचार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

iv. जल के संबंध में वैश्विक सहयोग बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान करते हैं और संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन और जल पर जी-20 संवाद में हुए विचार-विमर्श का स्वागत करते हैं।

महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण

43. हम विश्व के महासागर, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, रक्षण, पुनर्स्थापन और उनके टिकाऊ उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में प्रगति के उत्सुक हैं तथा इस संबंध में 2025 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में योगदान देने को तत्पर हैं। इस प्रयोजन के लिए, हम:

i.टिकाऊ और लचीली नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई उच्च-स्तरीय सिद्धांतों का स्वागत करते हैं

ii. राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता (बीबीएनजे) के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी नए अंतरराष्ट्रीय साधनों को अपनाने पर ध्यान देंगे और सभी देशों से इसमें जल्द से जल्द शामिल होने और इसे लागू करने का आह्वान करते हैं।

iii. अंटार्कटिक संधि प्रणाली के भीतर अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग (सीसीएएमएलआर) का समर्थन करते हैं, ताकि उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सीसीएएमएलआर कन्वेंशन क्षेत्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की एक प्रतिनिधि प्रणाली स्थापित की जा सके।

iv. अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

v. इस एजेंडे को हासिल करने की दिशा में प्रगति करने में ओशन 20 डायलॉग की भूमिका का समर्थन करते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना

44. हम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में, हम यूएनईपी/ईए.5/आरईएस14 प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, जिसने 2024 के अंत तक अपना कार्य पूर्ण हो जाने की महत्वाकांक्षा से समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय साधन विकसित करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की स्थापना की। हम ओसाका ब्लू ओशन विजन के अनुसार जी20 समुद्री कचरा कार्य योजना पर भी काम करेंगे।

भविष्य के शहरों का वित्तपोषण

45. भविष्य के शहरों को समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने के अपने प्रयासों में वित्त के संवर्धित संग्रहण और मौजूदा संसाधनों के कुशल उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इस संबंध में, हम भविष्य के शहरों के वित्तपोषण के लिए स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी प्रकृति वाले जी-20 सिद्धांतों और भविष्य के शहरों के वित्तपोषण पर जी20/ओईसीडी रिपोर्ट का समर्थन करते हैं, जो वित्त पोषण से संबंधित रणनीति प्रदान करने के साथ ही साथ नवोन्मेषी शहरी आयोजना और वित्तपोषण मॉडलों का सारांश प्रस्तुत करती है। हम विकास वित्तीय संस्थानों और एमडीबी सहित हितधारकों को शहरी अवसंरचना की आयोजना और वित्तपोषण में जहां भी लागू हो, इन सिद्धांतों को अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने और शुरुआती पायलट मामलों से प्राप्त अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम समावेशी शहरों को सक्षम बनाने वालों की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित प्रगति पर गौर करते हैं। हम सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्रशासनों को उनकी समग्र संस्थागत क्षमता का आकलन करने और उसे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन करने के लिए शहरी प्रशासन के क्षमता निर्माण पर अनुकूलन योग्य जी-20/एडीबी फ्रेमवर्क पर भी ध्यान देते हैं। हम स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी गुणवत्ता अवसंरचना निवेश (क्यूआईआई) संकेतकों के मौजूदा पायलट अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं और देश की परिस्थितियों को देखते हुए उनके अनुप्रयोग के बारे में व्यापक चर्चा के लिए उत्सुक हैं।

आपदा के जोखिम को कम करना और प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण

46. इस वर्ष की जी-20 की अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) कार्य समूह को संस्थागत रूप देने के माध्यम से जी-20 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को प्रेरित किया गया है। जैसा कि यूएनजीए के प्रस्ताव 77/289 में उल्लिखित है। हम

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) की पुन: पुष्टि करते हैं और इसके पूर्ण कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, हम:

i. राष्ट्रीय और स्थानीय क्षमताओं को मजबूत बनाने, वित्त पोषण के नवोन्मेषी उपकरणों, निजी क्षेत्र के निवेश और ज्ञान साझा करने के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई से संबंधित प्रगति में तेजी लाने का आग्रह करते हैं।

ii. बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रणालियों के आपदा और जलवायु संबंधी अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से विकासशील देशों, एलडीसी और एसआईडीएस सहित सभी देशों की क्षमताओं में वृद्धि में सहायता देना जारी रखे हुए हैं। हम डीआरआर के लिए वैश्विक मंच का स्वागत करते हैं और इस तरह के सहयोग और साझाकरण को आगे बढ़ाने के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहल पर ध्यान देते हैं।

iii. सेंडाई फ्रेमवर्क के सभी सिद्धांतों को लागू करते हुए एक-दूसरे के रिकवरी संबंधी अनुभवों से सीखने को बढ़ावा देते हैं।

<u>डी. 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं</u>

बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना

47. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आर्थिक प्रगति और समृद्धि, उपनिवेशवाद की समाप्ति, जनसांख्यिकीय लाभांश, तकनीकी उपलब्धियों, नई आर्थिक शक्तियों के उद्भव और गहन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र को अपने संस्थापक उद्देश्यों और अपने चार्टर के सिद्धांतों के प्रति वफादार समस्त सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। इस संदर्भ में, हम संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ (यूएनजीए 75/1) के स्मरणोत्सव की घोषणा को याद करते हैं, जिसमें यह बात दोहरायी गई थी कि हमारी चुनौतियां परस्पर संबद्ध हैं और इनसे केवल पुनर्जीवित बहुपक्षवाद, सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। 21वीं सदी की समसामयिक वैश्विक चुनौतियों से समुचित रूप से निपटने और वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पुनर्जीवित बहुपक्षवाद की

आवश्यकता को लेकर कई मंचों से आवाज उठाई गई है। इस संदर्भ में, 2030 के एजेंडे को लागू करने के प्रति लक्षित अधिक समावेशी और पुनर्जीवित बहुपक्षवाद और सुधार बेहद आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार

48. 21वीं सदी को एक ऐसी वैश्विक विकास वित्तीय प्रणाली की भी आवश्यकता है, जो विकासशील देशों, विशेष रूप से निर्धनतम और सबसे कमजोर देशों की जरूरत और उनके समक्ष आने वाले आघातों की गहनता के पैमाने सहित उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। हम ऑपरेटिंग मॉडल को व्यापक बनाते हुए, जवाबदेही एवं पहुंच में सुधार लाकर और विकास के प्रभाव को अधिकतम बनाने के लिए वित्त पोषण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करके बेहतर, विशाल और अधिक प्रभावी एमडीबी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। विकास के लिए अरबों से खरबों डॉलर तक की लंबी छलांग लगाने के लिए सभी स्रोतों से वित्तपोषण जुटाने के हमारे प्रयासों के लिए मजबूत एमडीबी महत्वपूर्ण होंगे। हम अधिक प्रभावी, विश्वसनीय, जवाबदेह और वैध संस्थान प्रदान करने के लिए वैश्विक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने में विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और मत को बढ़ाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली को विकासशील देशों और ईएमई को गरीबी से लड़ने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विकास के प्रभाव को अधिकतम करने में मदद करने के लिए उल्लेखनीय रूप से अधिक वित्तपोषण प्रदान करना चाहिए।

49. हम निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एमडीबी को विकसित और मजबूत बनाने के महत्वाकांक्षी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

50. हम एमडीबी के पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (सीएएफ) की जी-20 स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए जी-20 रोडमैप का समर्थन करते हैं और एमडीबी के अपने गवर्नेंस फ्रेमवर्क के भीतर उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता, मजबूत क्रेडिट रेटिंग और पसंदीदा ऋणदाता की स्थिति की सुरक्षा करते हुए इसके महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं। हम एमडीबी, विषय के विशेषज्ञों और शेयरधारकों के साथ बातचीत सहित क्रमिक आधार पर कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा किए जाने का भी आह्वान

करते हैं। हम सीएएफ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में प्रगति, विशेष रूप से जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय नवाचार की परिभाषाओं को अपनाने के संबंध में एमडीबी की सराहना करते हैं। हम वैश्विक उभरते बाजारों (जीईएम) के डेटा को समय पर जारी करने और 2024 की शुरुआत में एक स्टैंड-अलोन इकाई के रूप में जीईएम 2.0 के लॉन्च के संबंध में एमडीबी के बीच जारी सहयोग की सराहना करते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम एमडीबी को हाइब्रिड पूंजी, प्रतिदेय पूंजी, और गारंटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। हम एमडीबी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और शेयरधारकों के बीच बेहतर बातचीत की सराहना करते हैं तथा सूचना और रेटिंग कार्यपद्धतियों के आदान-प्रदान में निरंतर पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। हम इस बात पर गौर करते हैं कि प्रारंभिक सीएएफ उपाय, जिनमें कार्यान्वयन और विचाराधीन उपाय भी शामिल हैं, संभावित रूप से अगले दशक में लगभग 200 बिलियन डॉलर अतिरिक्त ऋण देने की गुंजाइश उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा कि जी-20 सीएएफ रोडमैप में अनुमान लगाया गया है। इन शुरुआती कदमों के उत्साहजनक होने के बावजूद हमें सीएएफ कार्यान्वयन पर निरंतर बल और अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी।

51. इसके अलावा, हम एमडीबी से अपना विजन, प्रोत्साहन संरचनाएं, परिचालन दृष्टिकोण और वित्तीय क्षमताएं विकसित करने की दिशा में व्यापक प्रयास करने का आह्वान करते हैं ताकि वे अपने दायित्व और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) हासिल करने में तेजी लाने की प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बेहतर ढंग से चाक-चौबंद हों। उनके विकास रोडमैप पर विश्व बैंक की प्रगति का स्वागत करते हैं और माराकेश और उसके बाहर आईएमएफ/डब्ल्यूबीजी की वार्षिक बैठकों द्वारा आगे के कदमों के प्रति उत्सुक हैं। 21वीं सदी के लिए एमडीबी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम एमडीबी को मजबूत बनाने के संबंध में रिपोर्ट के खंड 1 को तैयार करने में जी-20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह के प्रयासों की सराहना करते हैं और अक्टूबर 2023 में अपेक्षित खंड 2 के संयोजन में इसकी जांच की उम्मीद करते हैं। हम खंड1 की सिफारिशों पर ध्यान देते हैं और एमडीबी अपना प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से उचित समय पर अपने ढांचे के भीतर इन सिफारिशों को प्रासंगिक और उचित मानते हुए इन पर चर्चा करने का विकल्प चुन सकते हैं। हम अक्टूबर 2023 में चौथे जी-20 एफएमसीबीजी के दौरान, एमडीबी की वित्तीय क्षमता को मजबूत बनाने के संबंध में आगामी जी-20 उच्च स्तरीय सेमिनार का समर्थन

करते हैं। विकास संबंधी जरूरते पूरी करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए निवेश को बढ़ाने पर बड़े पैमाने पर जोर देने की आवश्यकता है और इस संदर्भ में, हम आईएमएफ और विश्व बैंक से, अन्य उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय में, ईएमडीई में घरेलू संसाधन जुटाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए कहते हैं। हम एमडीबी से अपने विकास प्रभाव को अधिकतम करने के लिए नवीन वित्तपोषण मॉडलों और नई साझेदारियों के माध्यम से निजी पूंजी का भी लाभ उठाने का आह्वान करते हैं। अन्य बहुपक्षीय प्रयासों को स्वीकार करते हुए हम एक नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन पर गौर कर रहे हैं।

52. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनिवार्यता को पहचानते हुए हम कम और मध्यम आय वाले उन देशों को समर्थन देने के उद्देश्य से विश्व बैंक की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से अधिक हेडरूम और रियायती वित्त जुटाएंगे, जिन्हें आवंटन के वास्ते एक स्पष्ट अवसंरचना के साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद की ज़रूरत है। इसके अलावा हम दुर्लभ रियायती संसाधन मुहैया करायेंगे और सबसे गरीब देशों के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करेंगे। इस सिलसिले में हम ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जो आईबीआरडी हेडरूम को मजबूत बढ़ावा देंगे, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाले निवेश की लागत को कम करेंगे और आईडीए संकट प्रतिक्रिया विंडो की क्षमता में वृद्धि करेंगे। हम आईडीए वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी आईडीए-21 पुनःपूर्ति की भी आशा करते हैं। हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की (आईबीआरडी)2020 शेयरधारिता समीक्षा पर समापन रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और 2025 शेयरहोल्डिंग समीक्षा का इंतजार करते हैं।

53. हम वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र को केंद्र में रखते हुये एक मजबूत, कोटाआधारित और - पर्याप्त रूप से संसाधनयुक्त आईएमएफ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम दोबारा इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हम कोटा की पर्याप्तता और आईएमएफ प्रशासन सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने, कोटा की (जीआरक्यू)16वीं सामान्य समीक्षा करने, जिसमें एक मार्गदर्शक के रूप में एक नया कोटा फॉर्मूला शामिल है, तथा आईएमएफ संसाधनों में कोटा की प्राथमिक भूमिका सुनिश्चित करने के लिये तत्पर हैं, जिसे 15 दिसंबर, 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में, हम कम से कम

आईएमएफ के मौजूदा संसाधन को बनाए रखने का समर्थन करते हैं। हम 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्वैच्छिक योगदान (एसडीआर में या समतुल्य) और सबसे अधिक जरूरतमंद देशों के लिए 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुदान वादों की वैश्विक महत्वाकांक्षा की ऐतिहासिक उपलब्धि का स्वागत करते हैं और लंबित वादों को जल्द पूरा करने का आह्वान करते हैं।

हम सुदृढ़ता एवं निरंतरता ट्रस्ट (आरएसटी) और गरीबी न्यूनीकरण एवं विकास ट्रस्ट (पीआरजीटी) के तहत हासिल की गई प्रगति का स्वागत करते हैं। हम पीआरजीटी में स्वेच्छा से और भी अधिक सब्सिडी और ऋण देने का वादा करने का आह्वान करते हैं और हम आरएसटी से सहाय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर करीबी नजर रखना आगे भी जारी रखेंगे।

हम आईएमएफ द्वारा प्रारंभिक विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीआरजीटी को पूरा करने की दृष्टि से सतत स्तर पर कायम रखने के लिए विकल्पों की श्रृंखला के तहत हम आने वाले वर्षों में कम आय वाले देशों की बढ़ती ज़रूरतों को हवाले से काम करेंगे। हमने अफ़्रीका को समर्थन जारी रखा, जिसमें अफ़्रीका के साथ जी20 कॉम्पैक्ट भी शामिल है। हम स्वैच्छिक चैनलिंग के लिए व्यावहारिक विकल्पों की खोज पर आगे की प्रगति के लिए तत्पर हैं तथा प्रासंगिक कानूनी ढांचे और आवश्यकता का सम्मान करते हुए, एमडीबी के माध्यम से एसडीआर की आरक्षित परिसंपत्ति के चरित्र और एसडीआर की स्थिति को संरक्षित करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन

54. हम निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित तरीके से ऋण कमजोरियों का समाधान करने के महत्व पर फिर से जोर देते हैं। हम डीएसआईआई से इतर ऋण संबंधित निर्भरता के लिए सामान्य ढांचे में की गई सभी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहने के लिये संकल्पित हैं। इसे दूसरे और अंतिम पैराग्राफ में संदर्भित बिंदु भी शामिल हैं, जो 13 नवंबर, 2020 को बनी सहमति पर आधारित हैं। हम समयबद्ध, व्यवस्थित और समन्वित तरीके से कॉमन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। इस सिलसिले में हम नीतिगत मुद्दों पर लगातार बातचीत करने को सहमत हैं, हम जाम्बिया सरकार और आधिकारिक ऋणदाता समिति के बीच समझौते के पक्षधर हैं, हम घाना के लिए आधिकारिक ऋणदाता समिति और ऋण पर एक समझौते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इथियोपिया के लिए सामान्य ढांचे से हटकर समय पर किए गए सभी प्रयासों का स्वागत

करते हैं। हम जीरो ड्राफ्ट सहित श्रीलंका की ऋण स्थिति के समाधान का आह्वान करते हैं। हम ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल मजबूत करने प्रतिभागियों के प्रयासों को (जीएसडीआर) का आह्वान करते हैं, हम प्रमुख हितधारकों के बीच संचार और एक आम समझ को बढ़ावा देने का आह्वान करते हैं।हम निजी ऋणदाताओं सहित सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों को जारी रखने का स्वागत करते हैं, जो ऋण पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के प्रयासों का स्वागत करते हैं, जिन्होंने पहले ही डेटा में योगदान दिया है। हम संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ओईसीडी डेटा /(आईआईएफ) रिपोजिटरी पोर्टल के हवाले से उनकी सराहना करते हैं।

ई .तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

55. प्रौद्योगिकी मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटने के लिए तेजी से परिवर्तन को सक्षम कर सकती है और समावेशी व सतत विकास की गति बढ़ा सकती है। एक उभरती हुई अवधारणा के रूप में और साझा डिजिटल सिस्टम के एक सेट के रूप में निर्मित डिजिटल सार्वजनिक अवसंचरना का सार्वजनिक व निजी (डीपीआई), दोनों क्षेत्रों ने लाभ उठाया है। इसे बुनियादी ढांचे और खुले मानकों और विशिष्टताओं के साथ निर्मित किया जा सकता है। यह ओपनसोर्स सॉफ़्टवेयर सामाजिक स्तर पर सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बना सकता है। हम डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इंटरऑपरेबल बनाने के प्रयासों के महत्व से अवगत हैं।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण

56. हम सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह और समावेशी डिजिटल सार्वजनिक अवसंचरना के महत्त्व को पहचानते हैं, जो मानवाधिकारों, व्यक्तिगत डेटा, गोपनीयता और बौद्धिकता के सम्मान से जुड़ा है। इस सिलसिले में बौद्धिक सम्पदा अधिकार लचीलेपन को बढ़ावा दे सकते हैं, और सेवा वितरण और नवाचार को सक्षम बना सकते हैं। इसके लिये हम:

i डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रणालियों के लिए जी-20 प्रारूप का स्वागत करते हैं, जो डीपीआई के सिलसिले में विकास, तैनाती और के लिए स्वैच्छिक और सुझाई गई रूपरेखा के अनुरूप है।

ii वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के हवाले से भारत की योजना का स्वागत करते हैं। यह डीपीआई का एक आभासी भंडार है, जिसे, स्वेच्छा से जी-20 सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है।

iii. वन फ्यूचर अलायंस के भारतीय अध्यक्षता के प्रस्ताव पर गौर किया जाये (ओएफए), जिसके तहत स्वैच्छिक पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा एलएमआईसी में डीपीआई लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, संरक्षा, लचीलेपन और भरोसे का निर्माण

57. सभी देशों और हितधारकों के लिए एक सक्षम, समावेशी, खुली, निष्पक्ष, भेदभाव रहित और सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। इसके साथ ही हम कानूनी अधोरचना के निर्माण के लिए अपने दृष्टिकोण और उत्कृष्ट व्यवहारों को साझा करेंगे, जो सुरक्षित और लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था के इरादे से की जायेगी। इस क्रम में हम:

i. व्यवसायों को समर्थन देने के लिए गैर-बाध्यकारी जी-20 उच्चस्तरीय सिद्धांतों का - स्वागत करते हैं, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, सुरक्षा, लचीलापन और विश्वास का निर्माण हो।

ii. बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता पर जी-20 टूलकिट का स्वागत करते हैं।

क्रिप्टो नीति और :परिसंपत्तियाँ-विनियमन

58. हम क्रिप्टो परिसंपत्ति इकोप्रणाली में तेज़ गति वाले विकास के जोखिमों पर कड़ी नजर - के निर्णायक स्थिति का समर्थन (एफएसबी) रखना जारी रखेंगे। हम वित्तीय स्थिरता बोर्ड परिसंपत्तियों के विनियमन-करते हैं। इसे मददेनजर रखते हुये हम क्रिप्टो, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए सिफारिशें करते हैं। हम एफएसबी और एसएसबी से आग्रह करते हैं कि वे इन सिफारिशों के कारगर और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा दें, ताकि नियामक मध्यस्थता से बचा जा सके। हम क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एफएसबी और एसएसबी कार्य योजना की स्वागत करते हैं। हम आईएमएफस्वागत करते हैं एफएसबी सिंथेसिस पेपर का-, जिसमें एक समन्वित और व्यापक नीति का समर्थन करने वाले एक रोडमैप भी शामिल है। हम विशिष्ट जोखिमों और जोखिमों की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए नियामक ढांचे, उभरते हुये बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं तथा जारी वैश्विक धनशोधन व (ईएमडीई)

आतंकवाद से निपटने के लिए एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन का आग्रह करते हैं। हमारे वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अपनी अक्टूबर2023 में इस पर चर्चा करेंगे तथा इसके हवाले से तैयार रोडमैप को पेश करेंगे। हम क्रिप'्टो इकोख प्रमु :प्रणाली पर बीआईएस रिपोर्ट-का भी स्वागत करते हैं। 'तत्व और जोखिम

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा

59. हम इससे उत्पन्न होने वाले संभावित व्यापकवित्तीय प्रभावों पर चर्चा का स्वागत करते - हैं, खासतौर से सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं को शुरू (सीबीडीसी)करने व उसे अपनाने के सिलसिले में। इस क्रम में सीमा पार से भुगतान के साथसाथ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय - बीआईएस इनोवेशन हब रिपोर्ट ऑन लेसंस लर्न्ट ऑन ' प्रणाली पर भी चर्चा जुड़ी है। हम का स्वागत करते हैं 'सीबीडीसी, जिससे हमें कई सीख मिलीं। व्यापक स्तर पर संभावित व्यापकआईएमएफ रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं तथा इस सम्बंध में सीबीडीसी वित्तीय प्रभावों पर-को अपनाने के मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना है।

डिजिटल इकोप्रणाली को बढ़ावा देना-

60. हम सभी उपलब्ध डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को तैनात करने का संकल्प लेते हैं और इस सिलसिले में हम कोई कसर नहीं बाकी नहीं रखेंगे। इस क्रम में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ग्रह का प्रत्येक नागरिक वित्तीय रूप से समाविश्ट हो। इसके समर्थन के लिये हमः

i. किसानों और एग्रीप्रणाली के जरिय-अप और एमएसएमई की इको-टेक स्टार्ट-े डिजिटल प्रौद्योगिकी के जवाबदार, सतत और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ii. विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रारूप के भीतर एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए समग्र डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की (जीआईडीएच) स्थापना का स्वागत करते हैं।

iii. संस्कृति की सुरक्षा और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएंगे और रचनात्मक क्षेत्र और उद्योग के क्रम में सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक विकास के लिए डिजिटल ढांचे को अपनायेंगे।

सभी के भले के लिए जिम्मेदारीपूर्वक कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग करना (एआई)

61. एआई की तीव्र प्रगति वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विस्तार की गारंटी देती है। हमारा प्रयास लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक जिम्मेदार, समावेशी और मानव केंद्रित तरीके से चुनौतियों का समाधान करके भलाई के लिए एआई का लाभ उठाना है। हमें दायित्वपूर्ण एआई विकास, तैनाती और उपयोग व सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि मानवाधिकार, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदारी, विनियमन, सुरक्षा, उचित मानवीय निरीक्षण, नैतिकता, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एआई की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए, इसके लाभों को समान रूप से साझा किया जाना चाहिये। जोखिमों के बावजूद, हम एआई शासन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आगे की चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस सिलसिले में हम:

i. हम जी-20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिद्धांतों)2019) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में समाधानों का समर्थन करने के लिए एआई का उपयोग करने के तरीकों पर जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे।

ii. एक नवाचार शासन दृष्टिकोण अपनाएंगे जो इससे/समर्थक विनियामक-जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुये इसके लाभों को बढ़ाता है।

iii. सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिम्मेदार एआई को प्रोत्साहित करेंगे।

<u>एफ .अंतर्राष्ट्रीय कराधान</u>

62. हम विश्व स्तर पर निष्पक्षता के प्रति सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये सतत और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के सिलसिले में हम कर पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्तंभ एक पर महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें बहुपक्षीय प्रस्ताव शामिल है। साथ (एमएलसी) ही अमाउंट बी पर काम चल रहा है। यह सिद्धांत को सरल बनाये और (के लिए रूपरेखा) का विकास करने (एसटीटीआर) उसे व्यवस्थित करेगा। स्तंभ दो के तहत कर विषय नियम एलसी से संबंधित कुछ लंबित मुद्दों को तेजी से हल का हम आह्वान करते हैं। हम एम करने के लिए आग्रह करते हैं, जिस सिलसिले में 2023 की दूसरी छमाही में हस्ताक्षर के लिए एमएलसी को तैयार करना तथा 2023 के अंत तक अमाउंट बी पर काम करना है। हम

विभिन्न देशों द्वारा वैश्विक एंटीनियमों को सामान्य रूप से लागू (ग्लोबीई) बेस इरोजन-करने का स्वागत करते हैं। हम क्षमता निर्माण की दिशा में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता कोणीय अंतर्राष्ट्रीय कर पै-को पहचानते हैं। हम दोकेज को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे और, विशेष रूप से, विकास के लिए अतिरिक्त सहायता और तकनीकी सहायता की योजना का स्वागत करते हैं। हम विकास पर जी-20/ओईसीडी रोडमैप के 2023 अपडेट पर गौर करते हैं। हम क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के त्वरित कार्या ("सीएआरएफ")न्वयन और सीआरएस में संशोधन का आह्वान करते हैं। हम कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान- वैश्विक") प्रदान पर फोरमफोरम ("आदानप्रदान शुरू करने के लिए एक उचित और -समन्वित समयरेखा की पहचान करने का अनुरोध करते हैं, ताकि 2027 तक सीएआरएफ एक्सचेंज शुरू करने का आह्वान करते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुये हम अधिकार क्षेत्र तय करें और हम भविष्य की बैठकों की रिपोर्ट करने तैयार कर सकेरं।। हम अंतर्राष्ट्रीय कर बढ़ाने पर ओईसीडी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हैं। रियल एस्टेट पर पारदर्शिता और उपयोग को सुविधाजनक बनाने पर ग्लोबल फोरम रिपोर्ट करकर उद्देश्यों के लिए सूचना का -गैर-संधि-।प्रदान करने पर गौर करते हैं-आदान

<u>जी .लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और कन्याओं को सशक्त बनाना</u>

63. जी-20 इस बात की पुष्टि करता है कि लैंगिक समानता का मौलिक महत्व है, और वह सभी महिलाओं और कन्याओं के सशक्तिकरण में निवेश है। इसका 2030 एजेंडे के कार्यान्वयन में कई गुना प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाना

64. हम महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों के समाधान को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय निर्माताओं के रूप में महिलाओं की पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये संकल्पित हैं। हम समाज के हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के हर स्तर पर स्थति सभी सेक्टरों में महिलाओं के योगदान को मानते हैं, जो न सिर्फ लैंगिक समानता हासिल करने, बल्कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि में योगदान देने के लिये भी जरूरी है। इस सिलसिले में, हम:

i. श्रम में अंतर को कम करने के ब्रिस्बेन लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जी-20 रोडमैप की दिशा में ब्रिस्बेन लक्ष्य '25X25' से आगे की भागीदारी व कार्यान्वयन के प्रति अपनी

प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम आईएलओ और ओईसीडी से सालाना प्रगति रिपोर्ट देने का आह्वान करते हैं।

ii. बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक आजीवन सीखने के हवाले से हम सस्ती, समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं तथा महिलाओं और कन्याओं सहित दिव्यांगजनों का अधिक से अधिक नामांकन, भागीदारी और नेतृत्व का समर्थन करते हैं। हम स्टेम क्षेत्रों और उदीयमान डिजिटल प्रौद्योगिकियों में इन सबकी भागीदार को प्रोत्साहन देते हैं।

iii. महिलाओं की पूर्ण और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये रोजगार तक समावेशी पहुंच को सक्षम करके काम की दुनिया में बदलाव लाने के विषय में हम पहल करेंगे, ताकि रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच बने, जिसके तहत लैंगिक वेतन अंतराल को कम किया जा सके तथा बेहतर काम व बेहतर रोजगार तक महिलायें सुगमता से पहुंच सकें।

iv. सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता और सुगमता में निवेश को बढ़ावा देना, तथा भुगतान-कामकाज के असमान अवसरों के मद्देनजर भुगतानयुक्त देखभाल व घरेलू-युक्त व गैर रोजगार तक पहुंच बनाना। साथ ही शिक्षा व रोजगार में महिलाओं की निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

v. यौन हिंसा, उत्पीड़न सहित लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से महिलाओं और कन्याओं के खिलाफ भेदभाव और दुर्व्यवहार शामिल है। साथ ही सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना।

vi. डिजिटल वित्त और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से आर्थिक संसाधनों तक पहुंच के जरिये महिलाओं को सशक्त बनाकर औपचारिक वित्तीय प्रणाली में उनके समावेश को बढ़ावा देना।

vii. लैंगिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना। लैंगिक असमानता को हमेशा कायम रखने वाले मानदंडों, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलना।

लैंगिक डिजिटल अंतर को खत्म करना

.65हम तक लैंगिक डिजिटल अंतर को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस 2030 उद्देश्य के लिए, हम:

i. डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुंच, सामर्थ्य, उसे अपनाने और उपयोग में लैंगिक मानदंडों और बाधाओं को संबोधित करना।

ii. विनियामक नीति संबंधी ढांचे को बढ़ावा देना, जो सभी महिलाओं और लड़कियों को राष्ट्रीय डिजिटल रणनीतियों को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है। इसमें डिजिटल साक्षरता और कौशल वृद्धि भी शामिल है।

iii. सभी तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन दुरुपयोग सहित बढ़ते डिजिटलीकरण से महिलाओं और बालिकाओं के लिए सभी संभावित जोखिम की पहचान कर उसे समाप्त करना। इसके लिए डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों में डिजाइन के समय ही खतरे की पहचान और आकलन वाले दृष्टिकोण को अपनाने को प्रोत्साहन।

iv. एमएसएमई सहित महिलाओं के नेतृत्व वाले और उनके स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए एक सक्षम, समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महिलाओं के विचारों को सम्मान देना, अनुभवों का सम्मान और उनकी विशिष्ट जरूरतों पर ध्यान देने वाली नीतियों को बढ़ावा देना और उसे लागू करना।

v. सिद्ध साबित हो चुके समाधानों की पहचान, वित्तपोषण एवं तेजी से पहल को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना, जिससे महिलाओं की आजीविका और आय सुरक्षा में सुधार हो।

vi. डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली पहलों का स्वागत।

लैंगिक समावेशी जलवायु पहल को बढ़ावा देना

66. सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, मरुस्थलीकरण और प्रदूषण के असंगत प्रभाव को स्वीकार करते हुए जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना। इसके मूल में लैंगिक समानता होनी चाहिए। इसके लिए हम करेंगे:

i. जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन और आपदा जोखिम को कम करने की रणनीतियों और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर नीतिगत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी, साझेदारी, निर्णय लेने और नेतृत्व का समर्थन और उसमें वृद्धि करना।

ii. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय नुकसान के प्रभाव का सामना करने में लचीलेपन के लिए पानी, सफाई एवं स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) समाधानों सहित लैंगिक रूप से समान एवं पर्यावरण हितैषी समाधानों का समर्थन।

महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुनिश्चित करना

67. महिलाओं के लिए भोजन सुरक्षा एवं पोषण व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है क्योंकि यह महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके बच्चों, परिवार के बाकी सदस्यों और समुदाय के कल्याण का आधार है। इसके लिए हम करेंगेः

i. समावेशी, टिकाऊ और लचीली कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में निवेश को प्रोत्साहित करना। स्कूल में दिए जाने वाले भोजन में सुलभ, किफायती, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन एवं स्वस्थ आहार का समर्थन। महिला किसानों के लिए समावेशी कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं और प्रणालियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।
ii. भूख और कुपोषण को समाप्त करने में वित्तपोषण के नए साधनों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का लाभ उठाते हुए लैंगिक-उत्तरदायी और आयु के हिसाब से पोषण एवं खाद्य प्रणाली हस्तक्षेपों का समर्थन।

महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन

68. हम जी-20 महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का सहयोग करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं और ब्राजील की जी-20 अध्यक्षता के दौरान इसकी पहली बैठक के लिए काम कर रहे हैं।

<u>एच. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे</u>

69. हम एनबीएफआई में हो रहे घटनाक्रमों की निगरानी करते हुए खामियों को दूर करने और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एफएसबी और एसएसबी के काम का दृढ़ता से समर्थन करना जारी रखते हैं। हम ओपन-एंडेड फंडों में बेमेल तरलता के संबंध में एफएसबी 2017 की सिफारिशों में संशोधन पर एफएसबी की परामर्श रिपोर्ट और एनबीएफआई में वित्तीय स्थिरता के प्रभावों पर एफएसबी रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। और हम एफएसबी मनी मार्केट फंड प्रस्तावों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए काम का समर्थन करते हैं। हम साइबर घटना की रिपोर्टिंग, साइबर शब्दकोश में

अपडेट और घटना की रिपोर्टिंग के आदान-प्रदान के लिए एक प्रारूप के लिए अवधारणा नोट (फायर, एफआईआरई) में ज्यादा सहयोग प्राप्त करने के लिए एफएसबी की सिफारिशों का स्वागत करते हैं। हम 'फायर' पर एफएसबी के आगे के काम के लिए तत्पर हैं और एफएसबी से उचित समयसीमा के साथ एक कार्य योजना विकसित करने के लिए कह रहे हैं। हम तीसरी-पार्टी जोखिम प्रबंधन और निगरानी बढ़ाने पर एफएसबी की परामर्श रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि टूलकिट वित्तीय संस्थानों के परिचालन संबंधी लचीलेपन को बढ़ाने, बिगटेक और फिनटेक्स सहित महत्वपूर्ण तीसरी-पार्टी सेवा प्रदाताओं पर उनकी बढ़ती निर्भरता से पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न न्याय क्षेत्रों में विनियामक और पर्यवेक्षण दृष्टिकोणों में अलगाव को कम करने के प्रयासों का सहयोग करेगा।

70. हम 2027 तक तेज, सस्ते, ज्यादा पारदर्शी और समावेशी सीमा पार भुगतान के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमा पार भुगतान बढ़ाने के जी20 रोडमैप के अगले चरण के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। साथ ही इस दिशा में एसएसबी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पहलों का स्वागत करते हैं। हम जी20 टेकस्प्रिंट 2023, जो बीआईएस इनोवेशन हब के साथ एक संयुक्त पहल है, के सफल समापन का स्वागत करते हैं। यह सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन उपायों को बढ़ावा देगा।

71. हम जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले वित्तीय खतरों से निपटने के लिए एफएसबी के रोडमैप पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के संशोधित जी20/ओईसीडी सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए नीति एवं नियामक ढांचे को मजबूत करना है। यह पूंजी बाजारों से वित्त तक पहुंच और स्थिरता का समर्थन करता है, जो बदले में व्यापक अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में योगदान कर सकता है। हम सतत पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इसके लिए हम ओईसीडी की रिपोर्ट 'व्यवस्थित हरित संक्रमण की ओर - निवेश आवश्यकताएं और पूंजी प्रवाह के जोखिमों का प्रबंधन' पर गौर कर रहे हैं।

आई. आतंकवाद और धन शोधन का मुकाबला

72. हम आतंकवाद के सभी रूपों और उसकी अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं जिसमें जेनोफोबिया, नस्लवाद और असहिष्णुता के अन्य रूपों के आधार पर, या धर्म या आस्था के

नाम पर आतंकवाद शामिल है। हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

73. हम महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं समेत बुनियादी ढांचों और अन्य आसान ठिकानों के खिलाफ सभी तरह के आतंकी कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवाद के सभी कृत्य आपराधिक और अनुचित हैं, चाहे उनकी प्रेरणा कुछ भी हो, कहीं भी, कभी भी हो और कोई भी हो। आतंकी गतिविधियों से निपटने के प्रभावी उपायों, आतंकवाद के पीड़ितों का सहयोग और मानवाधिकारों की सुरक्षा परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं हैं बल्कि पूरक और एक दूसरे को सुदृढ़ करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण आतंकवाद का प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकता है। आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह, उनके काम करने, आवाजाही और भर्ती करने की स्वतंत्रता के साथ-साथ वित्तीय, भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रयासों और प्रभावों को बढ़ाने की जरूरत है।

74. हम छोटे एवं हल्के हथियारों की अवैध तस्करी और उद्देश्य परिवर्तन को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। निर्यात, आयात नियंत्रण और नजर रखने समेत ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।

75. हम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) और एफएटीएफ की तरह काम करने वाली क्षेत्रीय संस्थाओं की बढ़ती संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपसी मूल्यांकन के अगले दौर सहित दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम कानूनी व्यक्तियों के लाभकारी स्वामित्व और कानूनी व्यवस्थाओं की पारदर्शिता पर संशोधित एफएटीएफ मानकों के समय पर और वैश्विक कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे अपराधियों के लिए गलत तरीके से कमाए लाभ को छिपाना और उसका शोधन करना ज्यादा कठिन हो सके। हम आपराधिक आय की वसूली के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में एफएटीएफ के कार्यों का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से एसेट रिकवरी और वैश्विक संपत्ति रिकवरी नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में मानकों को संशोधित कर एफएटीएफ ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम एफएटीएफ मानकों के अनुरूप वर्चुअल एसेट से जुड़े जोखिम, जैसे आतंकवाद के लिए वित्तपोषण, धन शोधन, वित्तीय प्रसार को कम करने के लिए प्रभावी नियामक एवं पर्यवेक्षीय व्यवस्था को विकसित करने और लागू करने वाले देशों के महत्व को दोहराते हैं। इस संबंध में हम 'यात्रा नियम' और उभरती प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों के

जोखिम पर एफएटीएफ के काम (विकेंद्रीकृत वित्त (डीईएफआई) व्यवस्था और पीयर-टू-पीयर लेनदेन) सहित उसके मानकों के वैश्विक क्रियान्वयन में तेजी लाने की पहल का समर्थन करते हैं।

जे. अधिक समावेशी दुनिया बनाना

हम जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का स्वागत करते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से मौजूदा समय की वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। हम जी20 के सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ के शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम एजेंडा 2063 के तहत अफ्रीकी संघ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोग करने और हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अफ्रीका के साथ जी20 कॉम्पैक्ट और औद्योगीकरण को समर्थन की जी20 पहल समेत अफ्रीका को सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम जी20 और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श के पक्षधर हैं।

77. हम अधिक समावेशी दुनिया बनाने की दिशा में अपने प्रयासों में प्रवासी श्रमिकों और शरणार्थियों सहित सभी प्रवासियों का सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों और परिस्थितियों के अनुरूप, उनके प्रवास की स्थिति की चिंता किए बगैर मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। हम मानवीय जरूरतों और विस्थापन के मूल कारणों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित पलायन के व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में अनियमित पलायन प्रवाह और प्रवासियों की तस्करी को रोकने के महत्व को भी समझते हैं। हम इस संबंध में लोगों के मूल देश, रास्ते वाले और गंतव्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का समर्थन करते हैं। भविष्य में हम एक देश से दूसरे देश में प्रवास और जबरन विस्थापन पर बातचीत जारी रखेंगे।

78. हम यूएनजीए प्रस्ताव ए/आरईएस/77/318 के तहत विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर ध्यान देते हैं। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि धर्म या आस्था की स्वतंत्रता, राय या अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार

एक दूसरे पर निर्भर, जुड़े और पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले हैं। और हम मानते हैं कि धर्म या आस्था के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में ये अधिकार भूमिका निभाते हैं। इस संबध में हम व्यक्तियों के खिलाफ धार्मिक घृणा और स्थानीय कानूनी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों आदि के खिलाफ सभी कृत्यों की निंदा करते हैं।

79. हम विकासशील देशों के दृष्टिकोण को जी20 एजेंडा में समाहित करना जारी रखेंगे और इस संबंध में जी20 सदस्यों की पहल की सराहना करते हैं।

निष्कर्ष

80. हम नई दिल्ली में 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने, प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करने और जी20 को मजबूत बनाने में बहुमूल्य योगदान के लिए भारत को धन्यवाद देते हैं। हम विभिन्न जी20 कार्य समूहों और मंत्रिस्तरीय बैठकों के सफलतापूर्वक समापन की सराहना करते हैं और उनके संलग्न परिणामों का स्वागत करते हैं। हम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए भी भारत को बधाई देते हैं।

81. हम वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 और आम सहमति के आधार पर बहुपक्षवाद की भावना से इसके लगातार संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। शिखर सम्मेलन सहित जी20 के सभी आयोजनों में सभी सदस्य समान रूप से हिस्सा लेते हैं। हम 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर मिलेंगे। साथ ही अगले चरण की शुरुआत के साथ हम 2026 में अमेरिका में फिर से मिलने वाले हैं। अगले चरण में हम जी20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी के लिए अपनी बारी को पहले करने की सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा का स्वागत करते हैं। हम 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को शांति, राष्ट्रों के बीच संवाद और समावेशिता के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सभी की भागीदारी होगी।

82. हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों को उनकी भागीदारी और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बी20, एस20, एसएआई20, स्टार्टअप20, टी20, यू20, डब्ल्यू20, वाई20, सी20, पी20 और एल20 समूहों के साथ-साथ एम्पावर, रिसर्च इनीशिएटिव, स्पेस इकॉनमी लीडर्स मीटिंग (एसएलईएम), चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंडटेबल (सीएसएआर) और जी20 साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं।

83. पहले के वैश्विक संकटों को रोकने के हमारे सामूहिक कार्यों-पहलों को याद करते हुए हम पृत्वी और हमारे लोगों के सुरक्षित, मजबूत, ज्यादा लचीले, समावेशी और बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए दुनिया को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

<u>जी20 नई दिल्ली बैठक में नेताओं की घोषणा, 2023 से जुड़े दस्तावेजों की सूची</u>

मंत्रिस्तरीय बैठकें और कार्य समूह दस्तावेज:

1. जी20 कृषि मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश (16-17 जून 2023, हैदराबाद)

i. खाद्य सुरक्षा और पोषण पर जी20 डेक्कन उच्चस्तरीय सिद्धांत 2023
ii. कृषि में जी20 पहलों की समीक्षा- प्रेसीडेंसी के वक्तव्य का सारांश

2. जी20 मंत्रियों की भ्रष्टाचार-निरोधक बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश (12 अगस्त 2023, कोलकाता)

i. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सूचना साझा करने को लेकर कानून प्रवर्तन से संबंधित व्यवस्था को सशक्त करने पर जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत
ii. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संपत्ति रिकवरी तंत्र को मजबूत करने पर जी20 के उच्च-स्तरीय सिद्धांत
iii. भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और सार्वजनिक निकायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने पर जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत
iv. पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) पर जवाबदेही रिपोर्ट 2023
v. भ्रष्टाचार से निपटने में ऑडिटिंग की भूमिका को बढ़ाने में बेहतरीन अभ्यासों का सार-संग्रह

3. जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश- काशी कल्चर पाथवे (26 अगस्त 2023, वाराणसी)

i. जी20 संस्कृति कार्य समूह के दस्तावेज

4. जी20 विकास मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश (12 जून 2023, वाराणसी)

5. एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के संबंध में जी20 2023 कार्य योजना (12 जून 2023, वाराणसी)

i. एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के लिए विकास के लिए डेटा का उपयोग (डीफोरडी) करने पर जी20 के उच्च स्तरीय सिद्धांत
ii. वैश्विक स्तर पर सतत, समावेशी और न्यायसंगत बदलावों को लागू करना जिससे कोई पीछे न छूटे
iii. लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के जरिए सतत विकास पर जी20 कार्य योजना

6. सतत विकास के लिए जीवन शैली पर जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत (12 जून 2023, वाराणसी)

7. जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश (19 अगस्त 2023, बेंगलुरु)

i. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रणालियों के लिए जी20 ढांचा
ii. डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा, लचीलापन और भरोसा कायम करने में व्यवसायों का समर्थन करने के लिए जी20 उच्च-स्तरीय सिद्धांत
iii. बच्चों और युवाओं की साइबर शिक्षा एवं साइबर जागरूकता पर G20 टूलकिट
iv. डिजिटल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को डिजाइन करने और उसे पेश करने के लिए जी20 टूलकिट
v. डिजिटल कौशल के संबंध में क्रॉस-कंट्री तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए जी20 रोडमैप

8. आपदा जोखिम कम करने से संबंधित जी20 कार्य समूह की बैठक के परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष का सारांश (24-25 जुलाई 2023, चेन्नई)

9. जी20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज व अध्यक्षीय सारांश (28 जुलाई 2023, चेन्नई)

i. एक टिकाऊ और लचीली ब्लू/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई उच्च-स्तरीय सिद्धांत

ii. जी20 वैश्विक भूमि पहल को मजबूत करने के लिए अध्यक्षीय गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप (जीआईआर) और गांधीनगर सूचना मंच (जीआईपी)

iii. खनन प्रभावित क्षेत्रों के फिर से उद्धार पर सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का सार-संग्रह

iv. जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों के फिर से उद्धार पर सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का सार-संग्रह

v. जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास

vi. एक टिकाऊ और लचीली ब्लू इकोनॉमी में रूपांतरण को तेज करने पर तकनीकी अध्ययन

vii. समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट (कूड़े) के खिलाफ कार्रवाइयों पर जी20 रिपोर्ट- जी20 कार्यान्वयन ढांचे पर आधारित पांचवीं सूचना साझाकरण

viii. इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी पर ज्ञान का आदान-प्रदान

ix. सर्कुलर इकोनॉमी के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर ज्ञान का आदान-प्रदान

x. चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था पर ज्ञान का आदान-प्रदान

xi. संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (आरईसीईआईसी)

10. जी20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (22 जून 2023, पुणे)

i. जी20 शिक्षा कार्य समूह रिपोर्ट: जी20 देशों में शिक्षा से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम

ii. जी20 शिक्षा कार्य समूह सार-संग्रह: जी20 देशों में शिक्षा से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम

11. जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (22 जुलाई 2023, गोवा)

i. हाइड्रोजन पर जी20 स्वैच्छिक उच्च- स्तरीय सिद्धांत

ii. ऊर्जा परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण खनिजों पर सहभागिता के लिए स्वैच्छिक उच्च-स्तरीय सिद्धांत

iii. साल 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करने पर स्वैच्छिक कार्य योजना

iv. ऊर्जा परिवर्तन को लेकर वित्तीय लागत कम करने के लिए स्वैच्छिक कार्य योजना

v. सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच में तेजी लाने को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक कार्य योजना

12. जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक का अध्यक्षीय सारांश और परिणामी दस्तावेज (1-2 मार्च 2023, नई दिल्ली)

13. जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का अध्यक्षीय सारांश और परिणामी दस्तावेज (24 - 25 फरवरी 2023, बेंगलुरु)

i. क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बृहद् वित्तीय पहलुओं पर आईएमएफ जी20 नोट

ii. जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एफएसबी अध्यक्षीय पत्र (फरवरी, 2023)

iii. विकेंद्रीकृत वित्त की वित्तीय स्थिरता जोखिमों पर एफएसबी रिपोर्ट

iv. कमोडिटी बाजारों की वित्तीय स्थिरता से संबंधित पहलुओं पर एफएसबी रिपोर्ट

v. एफएसबी रिपोर्ट: सीमा पार से भुगतान में बढ़ोतरी को लेकर जी20 रोडमैप - जी20 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कार्रवाइयां

vi. जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को ओईसीडी के महासचिव का कर पत्र (फरवरी, 2023)

vii. जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को ओईसीडी के महासचिव की कर रिपोर्ट

14. जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (17-18 जुलाई 2023, गांधीनगर)

i. वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के बृहद् आर्थिक प्रभावों और उनकी पहलुओं पर जी20 रिपोर्ट

ii. जलवायु परिवर्तन और रूपांतरण के तरीकों से उत्पन्न बृहद् आर्थिक जोखिमों पर जी20 रिपोर्ट

iii. एमडीबी की पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (सीएएफ) की जी20 स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए जी20 रोडमैप

iv. एमडीबी को मजबूत करने पर जी20 विशेषज्ञ समूह का खण्ड- 1

v. सीबीडीसी को व्यापक रूप से अपनाने के संभावित बृहद्-वित्तीय पहलुओं पर आईएमएफ रिपोर्ट

vi. "सीबीडीसी पर प्राप्त सीख" से संबंधित बीआईएस नवाचार केंद्र (बीआईएसआईएच) की रिपोर्ट

vii. "व्यवस्थित हरित परिवर्तन की ओ- निवेश आवश्यकताएं और पूंजी प्रवाह के जोखिमों का प्रबंधन" पर ओईसीडी की रिपोर्ट

viii. सबसे अधिक जरूरतमंद देशों के लिए 100 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर के स्वैच्छिक योगदान की कुल वैश्विक महत्वाकांक्षा पर जी20 नोट

ix. भविष्य के शहरों के वित्तीय पोषण के लिए जी20 सिद्धांत: समावेशी, लचीला और टिकाऊ

x. भविष्य के शहरों के वित्तीय पोषण पर जी20/ओईसीडी की रिपोर्ट

xi. शहरी प्रशासन की क्षमता निर्माण पर जी20/एडीबी ढांचा

xii. जी20 टिकाऊ वित्त कार्य समूह प्रदेय (डिलिवरेबल्स), 2023

xiii. आर्थिक कमजोरियों और जोखिमों पर ढांचा (एफईवीआर) और महामारियों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कमजोरियों व जोखिमों के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट

xiv. कोविड-19 महामारी के दौरान वित्त स्वास्थ्य संस्थागत व्यवस्थाओं के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों पर रिपोर्ट

xv. डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक की ओर से तैयार महामारी प्रतिक्रिया वित्तीय पोषण विकल्पों और कमियों की मैपिंग पर रिपोर्ट

xvi. विकासशील देशों पर जी20/ओईसीडी रोडमैप और अंतरराष्ट्रीय कराधान अपडेट- 2023

xvii. 'रियल एस्टेट पर अंतरराष्ट्रीय कर पारदर्शिता संवर्द्धन' पर ओईसीडी की रिपोर्ट

xviii. 'गैर-कर उद्देश्यों के लिए कर-संधि आदान-प्रदान की जानकारी के उपयोग को सुविधाजनक बनाने' पर वैश्विक फोरम की रिपोर्ट

xix. विकासशील देशों के लिए सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की क्षमता को सामने लाने पर साल 2021 की रणनीति के कार्यान्वयन पर वैश्विक फोरम अपडेट

xx. जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को एफएसबी अध्यक्षीय पत्र (अप्रैल और जुलाई, 2023)

xxi. क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों के लिए एफएसबी का वैश्विक नियामक ढांचा: अंतिम ढांचे के लिए विस्तृत सार्वजनिक नोट

xxii. क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों व बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए एफएसबी की उच्च- स्तरीय सिफारिशें

xxiii. वैश्विक स्टेबलकॉइन व्यवस्थाओं के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए एफएसबी की उच्च- स्तरीय सिफारिशें

xxiv. "क्रिप्टो इकोसिस्टम: प्रमुख तत्व और जोखिम" पर बीआईएस की रिपोर्ट

xxv. एफएसबी- 2017 नीति सिफारिशों के लिए ओपन-एंडेड निधियों में दोहराव को लेकर तरलता असंतुलन के समाधान पर एफएसबी की परामर्श रिपोर्ट

xxvi. तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन व निरीक्षण संवर्द्धन पर एफएसबी परामर्शी दस्तावेज: वित्तीय संस्थानों और वित्तीय अधिकारियों के लिए एक टूलकिट

xxvii. जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों के समाधान के लिए एफएसबी रोडमैप: 2023 की प्रगति रिपोर्ट

xxviii. साइबर घटना रिपोर्टिंग में व्यापक सम्मिलन प्राप्त करने के लिए एफएसबी की सिफारिशें: अंतिम रिपोर्ट

xxix. घटना रिपोर्टिंग आदान-प्रदान (एफआईआरई) के प्रारूप पर एफएसबी परिकल्पना नोट - आगे बढ़ने का एक संभावित तरीका

xxx. कारपोरेट प्रशासन के संशोधित जी20/ओईसीडी सिद्धांत

xxxi. आईएमएफ-एफएसबी संवाद दस्तावेज: क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए नीतियां

xxxii. एनबीएफआई की लचीलता संवर्द्धन पर एफएसबी प्रगति रिपोर्ट

xxxiii. एनबीएफआई में लाभ उठाने के वित्तीय स्थिरता पहलुओं पर एफएसबी रिपोर्ट

xxxiv. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए जी20 नीतिगत सिफारिशें

xxxv. जी20 प्रेषित धनराशि (रेमिटेंस) लक्ष्य की दिशा में हुई प्रगति पर नेताओं के लिए अपडेट- 2023

xxxvi. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उन्नत डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए नियामक टूलकिट

xxxvii. जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना- 2023

xxxviii. अद्यतन जीपीएफआई संदर्भ की शर्तें- 2023

xxxix. जी20 नेताओं के लिए जीपीएफआई प्रगति रिपोर्ट- 2023

xl. जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना प्रगति रिपोर्ट 2021-23

xli. एफएटीएफ रिपोर्ट- काउंटरिंग रैनसमवेयर फाइनेंसिंग रिपोर्ट (मार्च 2023)

xlii. वर्चुअल परिसंपत्तियों के लिए एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन पर लक्षित अपडेट (जून 2023)

xliii. कानूनी व्यक्तियों के लिए लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता पर मार्गदर्शन को लेकर एफएटीएफ रिपोर्ट (मार्च 2023)

15. जी20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (18-19 अगस्त 2023, गांधीनगर)

16. जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (21 जुलाई 2023, इंदौर)

i. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ओर से तैयार की गई रिपोर्टों की सूची

17. वैश्विक स्तर पर कौशल संबंधित कमियों को दूर करने की रणनीतियों पर जी20 नीतिगत प्राथमिकताएं (21 जुलाई 2023, इंदौर)

18. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए पर्याप्त व टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा और उचित कार्य पर जी20 नीतिगत प्राथमिकताएं (21 जुलाई 2023, इंदौर)

19. सामाजिक सुरक्षा के टिकाऊ वित्तीय पोषण के लिए जी20 नीतिगत विकल्प (21 जुलाई 2023, इंदौर)

20. कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जी20 बैठक (एमएसीएस) का अध्यक्षीय सारांश और परिणामी दस्तावेज (17-19 अप्रैल 2023, वाराणसी)

i. जी20 मोटे अनाज और अन्य प्राचीन खाद्यान्न अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पहल (महर्षि)

21. जी20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (21 जून 2023, गोवा)

i. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में पर्यटन के लिए जी20 गोवा रोडमैप

22. जी20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक के परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (25 अगस्त 2023, जयपुर)

i. जीवीसी के मानचित्रण को लेकर जी20 जेनेरिक फ्रेमवर्क
ii. एमएसएमई की सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन
iii. व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत

23. महिला सशक्तिकरण पर जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन - अध्यक्षीय वक्तव्य (2-4 अगस्त 2023, गांधीनगर)

24. जी20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज बैठक- परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (28 अगस्त 2023, गांधीनगर)

25. जी20 अनुसंधान मंत्रिस्तरीय बैठक - परिणामी दस्तावेज और अध्यक्षीय सारांश (5 जुलाई 2023, मुंबई)

*****